भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE

सत्यमेव जयते

Regional Office (WCZ)
Ground Floor, East Wing
New Secretariat Building
Civil Lines, Nagpur - 440001
appcfcentral-ngp-mef@gov.in

F. No. FC- Misc. -111/RON/2017-NGP/ 1334

Dated: 9th February, 2017

To

Sh. Sandeep Sharma,
Assistant Inspector General of Forests (FC),
Forest Conservation Division,
Ministry of Environment Forests and Climate Change,
4th Floor, Agni Wing, Indira Paryavaran Bhawan,
Jorbagh, Alignaj, New Delhi.

Sub: Site Inspection Report by the Regional Office (WCZ) Nagpur in respect of proposal involving diversion of 57 ha of Protected Forest land in favour M/s Jayaswal Neco Limited for Iron Ore mining in Village Metabodeli in West Bhanupratappur Forest Division in North Bastar Kanker District of Chhattisgarh.

Sir,

I am directed to refer to the State Government of Chhattisgarh letter no. F 5-15/2010/10-2 dated 13.12.2016 on the above subject seeking prior approval of the Central Government under Section – 2 (iii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 and the Forest Conservation Division of the MoEF&CC, New Delhi's letter no. 8-68/2016-FC dated 12.01.2016 requesting the Regional Office (WCZ) of the MoEF&CC at Nagpur to carry out the site inspection of the area proposed for diversion and to say that in accordance with the discussion held in the meeting of the FAC on 26.12.2016, site inspection of the area proposed for diversion has been carried out by the undersigned on 4.01.2017 during inspection visit for other mines in the District

An inspection report containing the observation of the undersigned and comments and recommendation of the Addl. PCCF (Central) is enclosed herewith for further necessary action in the matter.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'C'

Copy to:
1. Guard File.

-Sd-

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'C'

SITE INSPECTION REPORT OF THE REGIONAL OFFICE (WCZ) NAGPUR IN RESPECT OF PROPOSAL INVOLVING DIVERSION OF 50 HA OF PROTECTED FOREST LAND IN FAVOUR M/S JAYASWAL NECO LIMITED FOR IRON ORE MINING IN VILLAGE METABODELI IN WEST BHANUPRATAPPUR FOREST DIVISION IN NORTH BASTAR KANKER DISTRICT OF CHHATTISGARH.

Name of the Inspecting Officer – Charan Jeet Singh, Scientist 'C', Regional Officer (WCZ), Nagpur

Site inspection the above mentioned proposal was carried out on 4.01.2017 with the officials of State Forest Department and representatives of the User Agency.

1. **Legal status of the forest land proposed for diversion.**

   Legal status of the land proposed for diversion is Protected Forests.

   The mining lease of the User Agency is contiguous to their mining lease of 25 ha for which approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 has already been obtained by the User Agency on 23.11.2000.

2. **Item-wise break-up details of the forest land proposed for diversion.**

S. NO.	Particulars	Area (Ha)
i.	Mining activity including back and front quarry limit	40
ii.	Waste Dump	5
iii.	Sub Grade Stacking	2
iv.	Road	2
v.	Other activities (Maintenance area for vehicles and other facilities like first Aid, Blasting Shelter, Rest Shelter and urinal	1
	Sub-Total	**50**
vi.	Safety Zone	7
	Total	**57**

Following is worth mentioning here:

i. Total area of 50 ha comprised of 48 ha lease area and 2 ha of road proposed for approach road connecting ha mining lease to the nearest village road. Further, an area of 2 ha of forest land bifurcating the lease area into two parts, constitutes the part of 25 ha of forest land approved by the Central Government in its approval dated 24.02.2003.

ii. Further, area of safety zone area was not included in original proposal of the User Agency pertaining to diversion of 50 ha. However, FAC in its meeting held on 3rd to 4th April, 2013 noted that 7 ha forest land falling in safety zone had not been sought to be diverted whereas as per the latest guideline of 12.07.2012 of the Ministry, this area is also to be diverted. Therefore, the total area of 57 ha was diverted vide 'in-principle' approval dated 22.10.2013.

3. **Whether proposal involves any construction of buildings (including residential) or not. If yes, details thereof.**

   Same as given under para 2 above. The representative of the User Agency has informed that no construction of permanent structures or buildings is involved in the area proposed for mining lease.

4. **Total cost of the project at present rates.**

   Total cost of project is Rs. 50.47 crores.

5. **Wildlife**

   Whether forest area proposed for diversion is important from wildlife point of view or not.

It was informed that area does not have major wildlife. Important species reported in the area sloth beer, hyena, fox, deer, blue bull, jungle cat, common hare, etc. The area proposed for diversion does not form the part of any wildlife corridor, Protected Area and Wildlife Sanctuary.

6. **Vegetation:**

   i. **Total number of trees to be felled**. 23,800 trees of all girth classes

   ii. **Effect of removal of trees on the general ecosystem in the area**.

   Important species:- Important species found in the area include *Termialia tomentosa, Anogeisses latifolia, Tectona grandis, Madhuca indica, Schleichera oleosa, Termialia belerica, Diospyrus melanoxylon and Mitrgyna parviflora* etc in top canopy, *Cleistanthus collinus, Emblica officinalis, Cassia fistula, Terminalia chebula and Buchanania latifolia* and bamboo etc. in middle canopy. Density of the area proposed for is between 0.5 to 0.7.

   Removal of such a large number of trees over an area will certainly impact on the local environment.

7. **Background note on the proposal.**

Mining lease of the User Agency is located in the Metabodeli in West Bhanupratappur. It is informed by the User Agency that mining lease is among the 10 mining lease allotted by the State Government of Chhattisgarh to private companies in the year 2008-09. The LoI for the extant mining lease was accorded by the State Government on 28.07.2008.

Total reserve in the area have been estimated to 6.15 MT out of which mineable reserves have been estimated to 5.70 MT comprising of 0.19 MT of float ore and 1.75 MT of probable reserve. The capacity of the mine is to produce iron ore of 1 Lakh ton per annum.

The Stage-I approval to the mining lease of the User Agency has already been accorded by the Central Government on 22.10.2013. The User Agency has informed that compliance of Stage-I approval has also been submitted and the same is under consideration in the MoEF&CC.

It is further informed by the User Agency that instant proposal seeking prior approval of the Central Government under Section-2(iii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 has been submitted in accordance with Rule 8 of the Mineral Concession Rules, 2016 which came into force on 4.03.2015, wherein it is *inter-alia* provided that the applicant in whose favour the State Government has issued Letter of Intent in writing before January 12, 2015 for grant of a mining lease for minerals, the mining lease shall be executed and registered on or before 11.01.2017 failing which rights of such an applicant for grant of mining lease shall be forfeited.

Pending the execution of lease in favour of the applicant, the applicant approached the Hon'ble High Court of Chhattisgarh at Bilaspur at Nagpur by way of filling a W. P. (C) No. 91 of 2017 and the Hon'ble High Court vide its order dated 12.01.2017 directed that *"it is ordered that notwithstanding anything contained in Rule 8(4) of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbon Energy Minerals) Concession Rules, 2016, the Petitioner shall not be treated ineligible and its application shall remain alive for consideration. However, it is clarified that treating the application alive shall not be construed to mean that the Petitioner is entitled to involve in mining activities over the subject"*

8. **Compensatory afforestation:**

The compensatory afforestation has been proposed over orange forest land, double in extent to the forest land being diverted. The DCF, Kanker has certified that the land identified for raising CA is suitable for afforestation. The User Agency has informed that compensatory levies for raising CA over the identified orange forest land have already been deposited by them into the account of Ad-

hoc CAMPA and the same has been reported to the MoEF&CC, New Delhi by the State Government along with the compliance report.

9. **Whether proposal involves violation of Forest (Conservation) Act, 1980 or not. If yes, a detailed report on violation including action taken against the concerned officials.**

No violations of the Forest (Conservation) Act, 1980 were reported in the original proposal submitted for approval under Section – 2 (ii) and Section 2 – (iii) of the Forest (Conservation) Act, 1980. However, FAC in its meeting held on 26.12.2016, after examination of the proposal *inter-alia recommended that there are certain encroachments in the area proposed for diversion and accordingly, it was decided that site inspection will be carried out by the Regional Office before any decision on the issue is taken by the FAC. The matter stands deferred till that time.* During the inspection of the area conducted by the Regional Office, following is observed:

With regard to the issue of using road passing through the forest land unauthrizedly, following is submitted:

i. The User Agency has two mining leases in the area contiguous to each other. Lease –I has an area of 23 ha (mining) + 2 ha (road) = 25 ha for which approval of the Central Government has already been obtained on 24.02.2003. The lease-II of the User Agency has an area of 48 ha (mining) + 2 ha (road)= 50 ha for which Stage-I approval has been accorded by the Central Government on 22.10.2013.

ii. Lease –II and Lease-I area of the User Agency are located stands at 2 Km milestone and 3 Km milestone, respectively on the same approach road from the Chargaon village/boundary of forests i.e. Lease –I is located deep into the forest at a distance of around 3 km from the outer boundary of forest area and entire approach road of 3 km passes through the forest land.

iii. The User Agency has informed that proposal pertaining to the diversion of 25 ha, which was submitted to the Central Government for approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 in the year 1995, includes an area of 2.0 earmarked for approach road while remaining area of 23 ha has been proposed for mining and other ancillary activities. A copy of the relevant documents i.e. recommendations of the then State Government of Madhya Pradesh, the then PCCF, and then DFO **categorically recording that to an approach road of 2.0 ha will be required to ensure approach to the area proposed for diversion and the land for approach road is included in the diversion proposal** have been obtained from the office of the Principal Secretary (Forests), Government of Chhattisgarh. A copy of the documents containing the recommendation of the then authorities in the State Government and State Forest Department is enclosed as **Annexure-I.** It is also to mention that approval of the Central Government for diversion of 25 ha was accorded in two phases i.e. in first phase an area of 6.60 ha was approved vide letter no. 8-116/1995-FC dated 23.11.2000 while remaining area of 18.40 was accorded approval on 24.02.2003. A copy of the approval accorded by the Central Government is enclosed at **Annexure-II.**

iv. The area of 2.0 ha, earmarked for approach road in the proposal pertaining to Lease-I corresponds to a length of 988 meters with a width of 20 meters. The representatives of the User Agency have also informed that beyond the length of proposed approach road, existing road of the Forest Development Corporation over a length of 2 km i.e. upto village Chargaon/outer boundary of forest land, has been proposed to be used by the User Agency.

v. The said length of 988 meters of approach road for Lease-I, passes through the forest area sought to be diverted in Lease-II. The representative of the User Agency have also informed that owing the severe *naxalism* problem in the area, mining operation could not be resumed in the Lease-I (23 ha) till 2015. The mining operations resumed fully form October, 2016 onwards.

Further, with regards to issue of felling of trees in the 25 ha and surrounding forest area, the following is submitted:

i. The DFO, West Bhanupratappur Forest Division, during discussion on the issue held telephonically on 4.02.2016 informed that upto 2015, the area was severely affected from naxalism and there was strong protest from the naxals against the proposed mining in the area. It was also informed that during the past incidences of naxal attacks trees were felled and forest was set on fire. The DFO, West Bhanupratappur has also informed that Protected Forests of the area have been handed over the Forest Development Corporation by the State Forest Department and they have been managing the area including the approach road.

ii. The add to above, the representative of the User Agency has also informed that after obtaining approval of the Central Government in the year 2003 for 25 ha of forest land, initially attempts were made to start the mining operation in the year 2003. However, due to severe naxal problem, the mining operations could not be resumed and their machinery was set on ablaze by the naxals. Thereafter, the User Agency has made efforts to start mining operations in the year 2007 and 2010 and 2015. However, due to strong objection of the mining in the area from naxals, the mining activities could not be resumed and machinery employed by the User Agency for the commencement of mining operation was set on ablaze. It was further informed that a total of 7 incidences of naxal attacks have taken place in the area since 2003 to 2015. During such incidences trees were felled and forest, trucks of the User Agency and other machinery were set on fire. It is further informed that no felling of trees outside their lease area was undertaken by the User Agency. A copy of the supporting documents i.e. FIRs containing detailed information of the aforementioned incidences, as provided by the User Agency is enclosed at **Annexure-III.**

From the examination of the above facts, it may be concluded that mining operations of the User Agency have been resumed in the area since October, 2016 and use of the road managed by the Forest Development Corporation beyond 988 meters length (2.0 ha area included in 57 ha) by the User Agency amount to violation of the Forest (Conservation) Act, 1980. Said road of the FDC has now been included in the proposal of 57 ha by the User Agency i.e. now total area under road component in both the leases is 4 ha. The User Agency has informed that though they have proposed to use the road of FDC, however, the mining activity could not be resumed due to naxal problem. The said road of 2.0 i.e. over a length of 1970 meters is being used by the User Agency currently. **Use of the road over a stretch of 1970 meters without prior approval of the Central Government amounts of violation of the Forest (Conservation) Act, 1980.**

10. **Whether proposal involves rehabilitation of displaced persons. If yes, whether rehabilitation plan has been prepared by the State Government or not. Detail be furnished specifically if rehabilitation plan would affect any other forest area by trans-locating outstees in and around the said forest.**

    No rehabilitation is involved in the proposal.

11. **Reclamation Plan:** Not applicable

    i. Details and financial allocation. NA

12. **Details on catchment and command area under the project. NA**
13. **Cost benefit ratio.**

    1:14.22.

14. **Recommendations of the Principal Conservator of Forests/State Government.**

The Principal Chief Conservator of Forest, Government of Chhattisgarh has recommended the proposal for grant of approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 without any specific conditions.

15. **Recommendations of Regional Chief Conservator of Forests along with detail reasons.**

Recommendations of the Addl. PCCF (Central) have been appended separately.

16. **Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central) shall give detailed comments on whether there are any alternatives routes/alignments for locating the project on the non-forest land.**

Comments of the Addl. PCCF (Central) have been amended separately.

17. **Utility of the project. Numbers of Scheduled Castes/Scheduled Tribes to be benefited by the project.**

It is informed that the proposal will enhance the socio-economic development in the region. The population of approximately 200 people residing in the nearby villages will be benefited. In addition to generating employment opportunities in the region and revenue for the State Government, the project will provide an opportunity for the tribal population to associate themselves with the mainstream of development.

18. **Whether land being diverted has any socio-cultural /religious value. Whether any sacred grove or very old grown trees/forests exists in the areas proposed for diversion.**

No. As per information provided the area is not important from the socio cultural/religious view point.

19. **Situation w.r.t. any P.A.**

It is indicated in the proposal, that land proposed for diversion is located beyond a distance of 10 km from the boundary of any PAs. It is also reported that area proposed for diversion does not form the part any Tiger/Reserve/Wildlife Corridor, etc.

20. **Any other information relating to the project.**

i. Compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been submitted by the State Government along with the supporting documents.

ii. Given the fact that the mining operations are ongoing now and use of the road managed by the Forest Development Corporation beyond 988 meters length (2 ha annexed to 57 ha area of Lease-II) by the User Agency amount to violation of the Forest (Conservation) Act, 1980. Said road of the FDC has now been included in the proposal of 57 ha by the User Agency i.e. now total area under road component in both the leases is 4 ha. The User Agency has informed that though they have proposed to use the road of FDC, however, the mining activity could not be resumed due to naxal problem. The said road of 2.0 i.e. over a length of 1970 meters is being used by the User Agency currently. **Use of the road over a stretch of 1970 meters without prior approval of the Central Government amounts of violation of the Forest (Conservation) Act, 1980.**

iii. Further, an area of 7.0 ha along the outer boundary of the mining lease of the User Agency has been earmarked for the safety zone in accordance with the then prevailing Guidelines of the MoEF&CC and the same was also included in the area agreed by the Central Government for 'in-principle' approval i.e. Stage-I approval was accorded for an area of 57 ha. However, as per the Guideline dated 27.05.2015, safety zone is required to be maintained within the mining lease area. Therefore, area of 7 ha earmarked to be

maintained as safety zone should be deleted from the area and Stage-I approval dated 22.10.2013 may accordingly be amended for diversion of 50 ha of forest land and safety zone is to be maintained within the forest area of 50 ha.

iv. Road, involving 2 ha of forest land in Lease-I, appears to be constructed unauthorizedly, constitutes the part of area of 25 ha for which approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 was accorded by the Central Government vide letter no. 8-116/1995-FC dated 24.02.2003.

v. Clear felled area, located contiguous to the mining lease of 25 ha, as visible in the Google Satellite imagery of the area, is outcome of the forest fire and felling of trees during past naxal attacks in the area as corroborated by the FIRs provided by the User Agency.

vi. Examination of the area proposed for diversion using DSS tools in light of draft parameters for identification of inviolate forest area, it is revealed that area does not fall into the category of inviolate forest areas.

vii. Lease-I and Lease-II of the User Agency should be amalgamated into a single lease by the State Government at the time of execution of lease.

viii. Pending the execution of lease in favour of the applicant, the applicant approached the Hon'ble High Court of Chhattisgarh at Bilaspur at Nagpur by way of filling a W. P. (C) No. 91 of 2017 and the Hon'ble High Court vide its order dated 12.01.2017 directed that *"it is ordered that notwithstanding anything contained in Rule 8(4) of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbon Energy Minerals) Concession Rules, 2016, the Petitioner shall not be treated ineligible and its application shall remain alive for consideration. However, it is clarified that treating the application alive shall not be construed to mean that the Petitioner is entitled to involve in mining activities over the subject"*

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'C'

COMMENTS AND RECOMMENDATIONS OF THE ADDITIONAL PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS (CENTRAL)

The User Agency has two mining leases, one signed and other one proposed, in the area contiguous to each other. Forest area of 25 ha, including 2 ha of road has already been diverted by the Central Government for Lease –I on 24.02.2003. Similarly, Stage-I approval over an area of 57 ha for Lease – II, including 2 ha of forest land for road, and 7 ha of safety zone has already been accorded by the Central Government on 22.10.2013 and compliance of the Stage-I approval is under consideration in the MoEF&CC. From the examination of the facts and relevant records, it is established that 2.0 ha of forest land, earmarked for road in the extant proposal of 57 ha is currently being used by the User Agency in violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 while there appears to be no violation of Forest (Conservation) Act, 1980 for use of 988 meters of approach road involving forest area of 2.0 ha, annexed to 23 ha area of Lease-I of the User Agency. The approval dated 24.02.2003 accorded for 25 ha include 2.0 ha of forest land for construction of road. The Central Government may consider following, in case proposal is considered for approval under the Forest (Conservation) Act, 1980:

i. Forest area of Lease-II involving 7.0 ha along the outer boundary of the mining lease on three sides, earmarked for the safety zone, should be deleted from the area and Stage-I approval dated 22.10.2013 may accordingly be amended for diversion of 50 ha of forest land and safety zone is to be maintained within the forest area of 50 ha.

Kanwarjit Singh 9/1/17

(Kanwarjit Singh)
Addl. PCCF (Central)

 Annexure-I

Gmail

Charanjeet Singh <c.jsingh1@gmail.com>

Jayaswal Necos 25 hec. FCA proposal regarding

shridhar <k_snaidu7@hotmail.com> Sat, Feb 4, 2017 at 1:54 PM
To: Charanjeet Singh <c.jsingh1@gmail.com>

Sir,

As per our telephonic conversation I have attached the relevant papers pertaining to Jayaswal Neco FCA proposal of 25 hec. forest land in Kanker district of chhattisgarh.

Regards

Sridhar Naidu

NECO.pdf
1590K

3\. परियोजना/स्कीम के लिये आपेक्षित कुल भूमि और उसके साथ प्रयुक्त विद्यमान भूमि ।

परियोजना के लिये 20 वर्ष हेतु 25 हे0 भूमि खनि पट्टा हेतु अपेक्षित है । कम्पार्टमेंट के अनुसार कार्य विभाजन निम्नानुसार है :-

कम्पार्टमेंट नंबर	लीज हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे0 में
पी.426	06.600 माइनिंग
पी.427	13.600 माइनिंग
	20.000 माइनिंग
पी.426	- डम्प
पी.427	02.000 डम्प
	02.000 डम्प
पी.426	1.000 सड़क
पी.427	1.000 सड़क
	02.000 सड़क
पी.426	-
पी.427	1.000 सुरक्षा
	1.000 सुरक्षा
महायोग :-	25.000 हेक्ट0

Scanned by CamScanner

Sri MKS 25/X

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल 462004

क्रमांक/ एफ-5/121/95/10-3 भोपाल/दिनांक अक्टूबर 1995

प्रेषक:-

एस०एस० पवार
उप सचिव

प्रति,

सचिव,
भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
सी०जी०ओ० काम्पलेक्स पर्यावरण भवन
लोधी रोड नई दिल्ली 110003

विषयः- बस्तर जिले के भानुप्रतापपुर वन मण्डल में 25.00हे0 वनभूमि लौह अयस्क उत्खनन हेतु मे0 नागपुर स्लाग कार्टिंग लि0 को अस्थायी पर देने बाबत ।

-०-

महोदय,

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु बस्तर जिले के भानुप्रतापपुर वन मण्डल के संरक्षित वन कक्ष [illegible] के कक्ष क्र0 पी-426 एवं पी-427 में 25.00हे0 वनभूमि पर लौह अयस्क उत्खनन हेतु मे0 नागपुर स्लाग कार्टिंग लि0 का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबं0 के माध्यम से प्राप्त हुआ है ।

मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबं0 ने लेख किया है कि आवेदक [illegible] को उनके पत्र दिनांक 20-1-94 द्वारा इसी क्षेत्र में 200 हे0 क्षेत्र पर पूर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी तथा संचालक भू-विज्ञान एवं खनिकर्म की पूर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवेदक द्वारा 25.00हे0 वनभूमि पर उत्खनन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया किया गया है ।

प्रकरण में आवेदित क्षेत्र वन विकास निगम अन्तागढ़ परियोजना के अन्तर्गत बताया है तथा आवेदित क्षेत्र पर निगम द्वारा कोई रोपण कार्य नहीं किया गया है और न ही भविष्य में रोपण किये जाने योग्य भी नहीं है । इस संबंध में वन विकास निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है ।

प्रकरण में वन अपराध/विवादों का एवं जिलाध्यक्ष का वनभूमि के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र और अनुशंसा पत्र भी संलग्न है ।

//2//

प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक भू-सर्वे० ने लेख किया है कि प्रस्तावित क्षेत्र से वनसम्पत्ति में से बिल्डिंग रोड, वृक्षारोपण आदि प्रभावित नहीं हो रहे हैं । तथा आवेदित स्थल पर पहुंचमार्ग हेतु 2.0हे० भूमि [illegible] को प्रस्तावित क्षेत्र में ही शामिल है तथा प्रस्तावित मार्ग मानचित्र में दर्शाया गया है ।

प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदक ने भारत सरकार को भेजे गये पत्र 1-8-95 की छाया प्रति संलग्न कि है तथा आवेदित क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है ।

आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र के लिए माईनिंग प्लान तैयार कर क्षेत्रीय खान ब्यूरो, नागपुर को दिनांक 19-9-95 को प्रस्तुत किया है जिसकी छाया प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है । तथा नियमानुसार अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को मुख्य वन संरक्षक भू-सर्वे० द्वारा निर्देशित किया गया है ।

आवेदित क्षेत्र के बदले इतने ही बिगड़े वनक्षेत्र की वृक्षारोपण योजना एवं उसके पूर्ति का गणना पत्रक तथा लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

प्रकरण में समस्त अभिलेख संलग्न करते हुए मुख्य वन संरक्षक भू-सर्वे० ने वनमण्डलाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति चाही है अतः मुख्य वन संरक्षक भू-सर्वे० की अनुशंसा से राज्य शासन सहमत होते हुए प्रस्ताव (की) प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

निवेदन है कि प्रकरण में भारत शासन की अनुमति प्राप्त कर राज्य शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एस०के० पवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

//3//

पृ०/क्रमांक/ एफ-5/136/95/10-3/ भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 1995

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) केन्द्रीय भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय ई-5/240 अरेरा कालोनी भोपाल को ओर प्रस्ताव की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

2- मुख्य वन संरक्षक भू-सर्वेक्षण म०प्र०, भोपाल को ओर उनके पत्र क्रमांक/ 12/भू-सर्वे/वन/ 14/4425 दिनांक 28-9-95 के संदर्भ में।

3- वन मण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर म०प्र०

4- मे० नागपुर स्टील कास्टिंग लि० एन-08 एम०आई०डी०सी० इंडस्ट्रियल एरिया हिंगना रोड नागपुर। महाराष्ट्र।

को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

केनाथ///

236 28/9/95
59

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक भू-सर्वेक्षण एवं वन संरक्षण अधि०म०प्र०भोपाल
क्रमांक/12/भू-सर्वे०/प्र०अ०/ भोपाल दिनांक
प्रति,

सचिव
म०प्र०शासन
वन विभाग भोपाल।

विषय:- मे०नागपुर एलाय कास्टिंग लि० द्वारा भानुप्रतापपुर व०म०के अंतर्गत अन्तागढ़ परिक्षेत्र में स्थित मेथाकोडली एवं घार-गांव रकबा 25.000है०वनभूमि पर लौह अयस्क के उत्खनन बावत।

--:0:--

विषयांकित में व०म०अ०(सा०)भानुप्रतापपुर के पत्र क्र०/5442 दिनांक 29.8.95 द्वारा अन्तागढ़ परिक्षेत्र के संरक्षित वन खण्ड कीकोड़ी के कक्ष क्रमांक पी-426 एवं पी-427 में 7.500है०एवं 17.500है० कुल 25 है० क्षेत्र में माइनिंग लीज के प्रस्ताव प्राप्त हुये है।

2- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/274 दि० 20.1.94 द्वारा इसी क्षेत्र में 200है०क्षेत्र पर पूर्वेक्षण अनुमति दी गई थी तथा संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म की पूर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवेदक द्वारा 25.000है क्षेत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है।

3- आवेदित क्षेत्र वन विकास निगम अन्तागढ़ परियोजना के अन्तर्गत है तथा आवेदित स्थल पर निगम द्वारा कोई रोपण कार्य नही किया गया है तथा क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण भविष्य में भी रोपण किये जाने योग्य नही है। इस संबंध में वन विकास निगम द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4- वन क्षेत्र के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने संबंधी वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं आवेदित क्षेत्र की स्वीकृति हेतु जिलाध्यक्ष का अनुशंसा पत्र भी संलग्न है।

5- आवेदित क्षेत्र के बदले समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध न होने के कारण आवेदक से दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र चाहा गया था. इस संबंध में आवेदक ने उनके पत्र क्रमांक आइएसी/एनएस/95/1 दि० 26.9.95 द्वारा सीधे शासन को लिख कर प्रति इस कार्यालय को प्रेषित कर निवेदन किया है कि उक्त प्रमाण पत्र शासन वन विभाग के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6- प्रस्तावित क्षेत्र से वन सम्पत्ति जैसे बिल्डिंग, रोड, वृक्षारोपण आदि प्रभावित नही हो रहे है।

7- प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र में पहुँच मार्ग की स्थिति दर्शायी गई है पहुँच मार्ग के लिये आवश्यक भूमि 2 हे0आवेदित क्षेत्रमें शामिल है।तथा पूर्व से विद्यमान मार्ग भी दर्शाया गया है।

8- परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा भारत सरकार को लिख गये पत्र दि0 1.8.95 की छायाप्रति संलग्न है।

9- आवेदित क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत चारगांव एवं पौरडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10- आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र के लिये माईनिंग प्लान तैयार कर क्षेत्रीय खान ब्यूरो नागपुर को दि019.9.95 को प्रस्तुत किया है जिसकी छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।व0मं0अ0द्वारा नियमानुसार अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को निर्देश दिये जा चुके है।

11- आवेदित क्षेत्र के बदले दुगने बिगड़े वन की वृक्षारोपण योजना एवं खड़े वृक्षों का गणना पत्रक तथा लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रेषित है।

प्रकरण की स्वीकृति हेतु वन मण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर द्वारा की गई अनुशंसा से " मैं सहमत हूँ" ।

व0मं0अ0से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र-A प्रपत्र-3 स्थल मानचित्र कास्टबेनिफिट एनालिसिस,गणना पत्रक,दुगने बिगड़े वन की वृक्षारोपण योजना संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तावित माईनिंग प्लान,वचन पत्र आदि तीन प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

सही/-

मुख्य वन संरक्षक
[भू-सर्वे.एवं वन संरक्षण अधि0]
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0क्र0/12/भू-सर्वे/वृ0स0/14/4426 भोपाल दिनांक 28/9/95

प्रतिलिपिः-1/ वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर म0प्र0।

2/ वन मण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर म0प्र ।

3/ मे0 नागपुर एलाय कास्टिंग लिमि0,एम-8 एम0आई0डी0सी0 इन्डस्ट्रियल एरिया हिंगाना रोड नागपुर [महाराष्ट्र] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[signature] 28.9.95

मुख्य वन संरक्षक
[भू-सर्वे.एवं वन संरक्षण अधि0]
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, भानुप्रतापपुर

क्रमांक/मा. चि./5442 भानुप्रतापपुर, दिनांक 29/8/95

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
भू-सर्वे. एवं वन संरक्षण अधि.
म.प्र. भोपाल

विषय :- पूर्वेक्षित भूमि को खनिज निर्धनीकरण हेतु लीज पर देने हेतु मेसर्स-नागपुर स्लाग एण्ड कास्टिंग लिमि. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्र./12/भू-सर्वे./पू.ख./14/461 दिनांक 25-1-95.

--==::==--

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र में अंकित आपत्तियों की पूर्ति कराकर प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

1. आवेदक संस्थान के द्वारा पूर्व प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन करते हुए पूर्वेक्षण हेतु स्वीकृत 200 हे. वन भूमि में से कक्ष क्रमांक पी-426 में 7.500 हेक्टर तथा पी - 427 में 17.500 हेक्टर कुल 25 हेक्टर क्षेत्र में माइनिंग लीज हेतु आवेदन किया गया है ।

2. आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति संलग्न है । परियोजना के लिये पर्याप्त वित्तीय प्रावधान होने संबंधी आवेदक का वचन पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

3. संचालक भौतिकी तथा खनि कर्म रायपुर से संबंधित सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है । उप वन मण्डलाधिकारी, भानुप्रतापपुर (सा.) द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है ।

वन विकास निगम मर्यादित परियोजना मण्डल भानुप्रतापपुर के पृ. क्रं./1211 दिनांक 4-8-95 के अनुसार आवेदित स्थल पर निगम द्वारा कोई रोपण नहीं किया है एवं उक्त क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निगम प्रयोजन के अनुसार भविष्य में भी रोपण के योग्य नहीं है ।

उपरोक्तानुसार वन विकास निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है । प्रस्ताव के साथ छाया प्रति संलग्न है ।

4. परियोजना हेतु वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विकल्प न होने एवं मांग न्यूनतम होने संबंधी वन मण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर (सामान्य) वन मण्डल का प्रमाण पत्र संलग्न है । जिलाध्यक्ष बस्तर द्वारा 25 हेक्टेयर क्षेत्र लीज पर दिये जाने बाबद अनुशंसा पत्र संलग्न है ।

5. आवेदक संस्थान के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर बन भूमि की अनुपलब्धता बाबद् मुख्य सचिव म.प्र. शासन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसकी छाया प्रति एवं दुगने बिगड़े बन क्षेत्रों में वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना संलग्न है।

6. प्रस्तावित परियोजना से ~~किसी~~ बिल्डिंग, रोड, वृक्षारोपण आदि प्रभावित नहीं होंगे।

7. संलग्न मानचित्र में पहुंच मार्ग की स्थिति स्पष्ट की जाकर लाल रंग से रेखांकित किया गया है। पहुंच मार्ग के लिये 2 हेक्टर बन भूमि प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र कुल प्रस्तावित 25 हेक्टर बन क्षेत्र में सम्मिलित है।

8. परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक को प्रदान किया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। आवेदक द्वारा पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को और स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है स्वीकृति अपेक्षित है।

उपरोक्त आवेदित क्षेत्र अन्तागढ़ परिक्षेत्र के संरक्षित बन खण्ड कोंडागाड़ी के अन्तर्गत स्थित है। उक्त क्षेत्र किसी पंचायत क्षेत्र एवं निस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत जिलाध्यक्ष बस्तर के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र में प्रस्तावानुसार अनुमति हेतु जिलाध्यक्ष बस्तर द्वारा अनुशंसा की गई है। उनके प्रतिवेदनानुसार, यदि आवेदक को बन संरक्षण अधिनियम 1980 में तहद् केन्द्र सरकार से 25 हेक्टर क्षेत्र के निर्वनीकरण की लिखित अनुमति मिल जाती है तो उसके उपरान्त आवेदक को क्षेत्र में उपलब्ध लौह अयस्क भण्डार को स्वयं के स्टील प्लांट में उपयोग करने की शर्त पर उक्त क्षेत्र में लौह अयस्क खनिज का खनि पट्टा स्वीकृत किया जाना उचित होगा।

आवेदक द्वारा म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्र./ एफ-3/32/95/12/2 दिनांक 2-5-95 की छाया प्रति प्रस्ताव में संलग्न की गई है। उक्त पत्र में प्रस्तावित क्षेत्र 25 हेक्टर पर लौह अयस्क खनिज के लिये 20 वर्ष के लिये खनि पट्टा स्वीकृति बाबद् शासन द्वारा लिये गये निर्णय निर्णय की सूचना आवेदक संस्थान को दी गई है। उक्त निर्णय के तहद् आवेदक को आवेदित क्षेत्र के लिये भारतीय खान ब्यूरो से स्वीकृत माईनिंग प्लान से 6 माह की अवधि में शासन को प्रस्तुत करने बाबद् निर्देश दिये गये है। साथ ही उपरोक्त पत्र में उल्लेखानुसार आवेदित क्षेत्र बन भूमि होने के कारण खनि पट्टा की स्वीकृति तभी दी जा सकेगी जबकि आवेदक द्वारा बन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं बन मंत्रालय से बन भूमि के उपयोग की अनुमति प्राप्त कर उक्त विभाग को प्रस्तुत की जावेगी। उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न है। माईनिंग प्लान में हेतु प्रस्तुत मानचित्र संलग्न है।

आवेदक संस्थान मेसर्स नागपुर एलाय कास्टिंग लिमिटेड भिलाई के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र 4-4 प्रतियों में मय मानचित्र, प्रपत्र-3 व प्रपत्र-4, एवं पंजीकृत अन्य सहपत्रों के संलग्न कर प्रेषित है । उपरोक्तानुसार आवेदित क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र व पथरीला होने के कारण भविष्य में भी रोपण आदि के योग्य नहीं है एवं जिलाध्यक्ष बस्तर द्वारा खनि पट्टा स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है । अतः आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र का 25 हेक्टर क्षेत्र को लीज पर दिया जाना उचित होगा । कृपया प्रकरण में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

बन मण्डलाधिकारी,
भानुप्रतापपुर, बन मण्डल, [सा.]
भानुप्रतापपुर

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।
4-4 प्रतियों में.

पृष्ठा. क्रं./मा. चि./ भानुप्रतापपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. बन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर, की ओर मय उपरोक्तानुसार सहपत्रों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
2. जिलाध्यक्ष बस्तर जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।

बन मण्डलाधिकारी,
भानुप्रतापपुर बन मण्डल, [सा.]
भानुप्रतापपुर

पृष्ठा./मा. चि./ भानुप्रतापपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. मण्डल प्रबन्धक, अन्तागढ़, परियोजना मण्डल भानुप्रतापपुर की ओर उनके पृ. क्रं./1211/ दिनांक 4-8-95 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. मेसर्स- नागपुर एलाय कास्टिंग लिमिटेड, 178 ए-सी.डब्लू.सी. 30 इण्डस्ट्रियल एरिया भिलाई 490-026 जिला दुर्ग की ओर उनके पत्र क्रं./आई. एन. सी./एन. ए. सी./ एम. एल./95/1 दिनांक 6-4-95 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

बन मण्डलाधिकारी,
भानुप्रतापपुर, बन मण्डल, [सा.]
भानुप्रतापपुर

—

PLAN SHOWING AN IRON ORE AREA OF 2[illegible] HECTARES

IN VILLAGE-METABODELI, DISTRICT-BASTAR, MADHYAPRADESH.

SCALE-1:15000

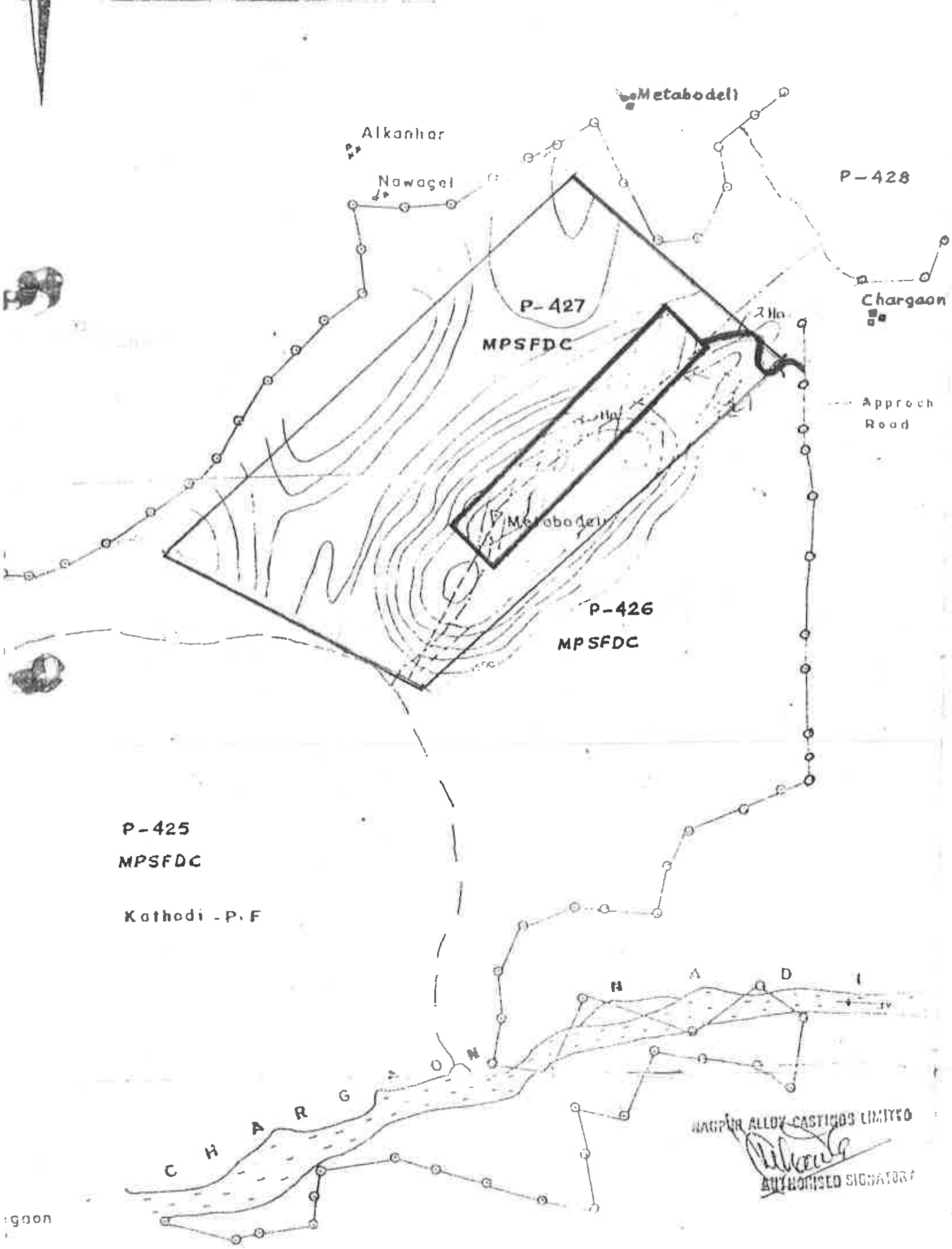

AREA UNDER PROSPECTING LICENCE

MINING LEASE AREA

COMPARTWISE	AREA (Ha)	TOTAL AREA
P 426	7·5	321
P 427	17·5	294
TOTAL ..	.. 25·0	615
PERCENTAGE	4·07%	100%

NAGPUR ALLOY CASTINGS LIMITED

AUTHORISED SIGNATORY

Annexure-II

No. 8-116/95-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
F.C. Division

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 003.
Dated: 24.02.2003

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh
Raipur

Sub: Diversion of 25.00 hectare forest land for Iron-ore mining in favour of M/s Jaiswal Neco Ltd. in Distt. Bastar, Chhattisgarh- Regarding release of additional forest land.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 7746/FC/2002 dated 9.9.2002, Indian Bureau of Mines letter No. 293(3)/2002-TC dated 23.10.2002, user agency letter No. nil dated 13.11.2002 and CCF(LM), Chhattisgarh letter No. 11/LM/Khanij/217 dated 24.01.2003 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section 3 of the aforesaid Act.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendation of the above mentioned Advisory Committee, the Central Government hereby conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 18.40 ha. of additional forest land for iron-ore mining in favour of M/s Jaiswal Neco Ltd. in Distt. Bastar, Chhattisgarh subject to the following conditions:-

(a) Legal status of forest land shall remain unchanged.
(b) Compensatory afforestation shall be raised over double the degraded forest land at the project cost.
(c) Lease period including already diverted 6.60 ha. forest land shall be for a period of 30 years w.e.f. 27.03.2001.
(d) The forest land to the user agency shall be released in two phases. 19.50 ha. forest land inclusive of 6.60 ha. forest land released earlier shall be

Scanned by CamScanner

released in the first phase and balance 5.50 ha. forest land shall be released in the second phase i.e. at the end of five years as per the calendar plan submitted by the user agency. The user agency shall give due regard for incorporating afforestation scheme in their mining lease.

(e) Fencing, protection and regeneration of the safety zone area will be done at the project cost. Besides this, afforestation over one and a half times of safety zone area in degraded forest elsewhere will be done at the project cost.

(f) Demarcation of mining lease area will be done on the ground at project cost using four feet high reinforced cement concrete pillars with serial numbers, forward & back bearings and distance from pillar to pillar.

(g) The user agency will make arrangement for free supply of fuelwood preferably alternate energy source to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest areas.

(h) Reclamation of lease areas will be done as per plan in consultation with the State Forest Department at the cost of user agency.

(i) The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environmental Protection Act, 1986, if applicable.

(j) Any other condition that the State Government or the Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhopal may impose from time to time in the interest of afforestation and protection of forests.

Yours faithfully,

4/2/2003

(R . K . GUPTA)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Chhattisgarh, Raipur.
2. Nodal Officer, Office of the PCCF, Government of Chhattisgarh, Raipur.
3. Chief Conservator of Forest, Regional Office, Bhopal.
4. M/s Jaiswal Neco Limited, F-8, MIDC Industrial Area, Hingna Road, Nagpur, Maharashtra.
5. RO(HQ).
6. Guard File.
7. Dr. V.K. Bahuguna, IGF(FC)

(R . K . GUPTA)
Assistant Inspector General of Forests

No. 8-116/95-FC

Scanned by CamScanner

Annexure-III

राज्य शासन द्वारा कंपनी के पक्ष में ग्राम मेटाबोदली तहसील पखांजुर जिला कांकेर के 25 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र में लौह अयस्क उत्खनन हेतु खनिपट्टा वर्ष 2002 में स्वीकृत किया है । जिसमें वन विभाग द्वारा प्रथम चरण में 6.60 हेक्टेयर वन भूमि में कार्यानुमति जून 2002 में प्रदान की गई । खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र अतिसवेदनशील है जहॉ पर नक्सलियों द्वारा समय–समय पर मारपीट,आगजनी एवं अन्य घटनॉए घटित की जाती रही है जिससे क्षेत्र एवं आसपास के लोगों में भय एवं आतंक व्याप्त रहता है । खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र में घटित प्रमुख घटनाए निम्नलिखित है :–

1. सर्वप्रथम वर्ष 2003 में खनिपट्टा क्षेत्र मे पहुॅचने हेतु सड़क सुधार एवं निर्माण के कार्य में लगे 3 ट्रेक्टर एवं एक जीप में आग लगा दिये एवं कार्यरत लोगो को धमकाकर भगा दिया तथा कंपनी के मैनेजर एवं ठेकेदार के मुंशी को अगवा कर साथ ले गये एवं लगभग 15 दिन साथ में रखकर मानसिक रुप से परेशान करते रहे । इस घटना की रिर्पोट कोयलीबेड़ा थाने में एफआईआर कमांक 51/03 दिनांक 3.10.2003 से दर्ज की गई । घटना से कंपनी के मैनेजर नौकरी छोड़कर चले गये, ठेकेदार ने कार्य करने से मना कर दिया तथा वाहनों में आग लगने से सड़क से लगे आसपास के पेड़ क्षतिग्रस्त हो गये । कंपनी का कार्य बंद हो गया । इसके पश्चात भी समय–समय पर कई घटनॉए हुई । जिससे सड़क निर्माण का कार्य बाधित होता रहा ।

2. वर्ष 2007 में कंपनी द्वारा पुनः प्रयास कर खनिपट्टा क्षेत्र मे पहॅुचने हेतु सड़क सुधार एवं निर्माण के कार्य को प्रारंभ किया गया परंतु कुछ दिनों कार्य होने के बाद गाड़ियो को आग लगा कर जला दिया गया जिससे पेड़ो को क्षति पॅहुची ।

3. तत्पश्चात वर्ष 2010 में एकबार फिर से कार्य प्रारम्भ किया गया । कुछ दिनो के पश्चात कार्यरत लोगो को धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर कार्य बंद करा दिया । खनिपट्टा क्षेत्र के पेड़ो को काटकर गिरा दिया गया । ताकि लोग के आवागमन का रास्ता अस्थायी रुप से बंद हो जाये ।

4. वर्ष 2015 में चार घटनॉए घटित हुई जिसमें प्रथम घटना दिनांक 9 जनवरी 2015 को हुई । जिसमे सड़क निर्माण कार्य में लगे एक फोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया गया एवं कार्यरत लोगों को जान से मार देने की धमकी देकर कार्य आगे न करने की चेतावनी देकर भगा दिया गया । इस घटना की रिर्पोट थाना सिकसोड़ में एफआईआर कमांक 02/15 दिनांक 10.1.2015 से दर्ज की गई । इस आगजनी की घटना से वृक्षों को क्षति पहॅुची ।

5. वर्ष 2015 में द्वितीय घटना दिनांक 8 फरवरी 2015 को घटित हुई । जिसमें कटी हुई लकड़ियों के चट्टे जो खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र की सीमा में था एंव परिवहन कार्य में लगे लकड़ीयों से भरी वाहनों को आग के हवाले कर कार्य बंद करने हेतु कहा गया । जिससे गाड़ी पूरी तरह खाक हो गई । ये गाड़ीयॉ खनिपट्टा क्षेत्र से रोजना लकड़ीयॉ भरकर अस्थाई डिपों तक लाती थी । कार्यरत लोगों को जान से मार देने की धमकी देकर भगा दिया गया । इस घटना की रिर्पोट थाना सिकसोड़ में एफआईआर कमांक 05/15 दिनांक 10.2.2015 से दर्ज की गई । इस आगजनी की घटना से खनिपट्टा सीमा एवं सड़क के किनारे खड़े पेड़ भी आग के हवाले हो गये जिससे वृक्षों को भी क्षति पहॅुची ।

4. वर्ष 2015 में तीसरी घटना दिनांक 1 अफैल 2015 को घटित हुई । जिसमें पेड़ कटाई एवं कटी हुई लकड़ियों के परिवहन कार्य में लगे लोगो तथा कम्पनी के अधिकारी कर्मचारी को डराया धमकाया गया एवं कार्य का विरोध कियाए सर्वे कार्य मे प्रयुक्त होने वाले उपकरण को लूट कर ले गये तथा कुल 5 लोगों को अगुवा करके अपने साथ ले गये जिसमें कंपनी के खदान प्रबंधक एवं सर्वे कार्य में लगे लोग शामिल थे । कार्यरत लोग खदान क्षेत्र से भाग न पाये इसलिए पेड़ो को काटकर रास्ते में गिरा दिया गया । कच्चे लकड़ीयों से उनके साथ मारपीट की घटना घटित की गई । इस घटना की रिर्पोट थाना सिकसोड़ में एफआईआर कमांक 06/15 दिनांक 02.04.2015 से दर्ज की गई ।

5. वर्ष 2015 की चौथी घटना दिनांक 30 अक्टूबर 2015 को घटित हुई । जिसमें नक्सलियों द्वारा कायराना करतूत को अंजाम दिया गया । कार्यरत लोगो को धमकाकर कार्य बंद करने को कहा । कच्चे लकड़ीयों से उनके साथ मारपीट की घटना घटित की गई । तौल मशीन को तोड़ दिया गया । खदान में खड़ी गाड़ीयों जो परिवहन कार्य में लगी थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया । कुल 29 वाहन को आग के हवाले कर दिया गया जिसमें 25 ट्रक, 2 जेसीबी, 2 टिप्पर एवं 1 मोटर साईकिल थी । ये आग इतनी भयानक दी थी कि 3–4 दिनों तक आग लगी रही । कुल 70 लोग घायल हो गये जिसमें दो लोग गंभीर रुप से घायल हो गये थे । जिन्हे बेहतर चिकित्सा के लिये रायपुर भेजा गया । इस घटना से खड़े पेड़ो की भी भारी क्षति हुई । गाड़ीयॉ तथा कई पेड़ आग से पूरी तरह जलकर खाक हो गये । इस घटना की रिर्पोट थाना सिकसोड़ में एफआईआर कमांक 17/15 दिनांक 31.10.2015 से दर्ज की गई ।

समस्त घटनाओं की एफआईआर, फोटो एवं समाचार पत्र की कंटिग सलंग्न है । उपरोक्त से स्पाष्ट है कि मुख्यतः आगजनी की जो भी घटनॉए घटित हुई उससे खनिपट्टा क्षेत्र की सीमा से लगे एवं सड़क के किनारे खडे पेड़ आग से जल गये व कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गये ।

XVI-(a)—212
पुलिस हिन्दी

प्रतिपर्ण
पृष्ठ क्रमांक

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)
FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

12

1. * जिला कांकेर *थाना सिकसोड़ *वर्ष 2015 *प्र.सू.प.क्र. 17/2015 *दिनांक 31/10/15
2. (1) *विधान भा. द. वि. धाराएं 147, 148, 149, 342, 395, 397,
   (2) *विधान धाराएं 427, 435, 506.
   (3) * विधान आर्म्स एक्ट धाराएं 25, 27.
   (4) * अन्य विधान एवं धाराएं विधि. विरुद्ध क्रियाकलाप (नि) अधि. 13, 15 (क) 20, 23, 38 (2) 39 (2)
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्र.
   (ब) * घटना का दिन शुक्रवार *दिनांक 30/10/2015 *समय 11:30 बजे दिन
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 30/10/2015 समय 14.35 बजे रो. सा. क्र. देहाती नालसी
4. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक असल कायमी 31/10/15 के 14.00 बजे, रो.ना.सा.क्र. 650
5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी 25 कि.मी. उत्तर पश्चिम
   (ब) * घटना स्थल का पता चारगांव मेटाबोदली, माईन्स पहाड़ी पर
   बीट नं.
   (स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना जिला
6. अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम आरक्षक क्र. 1163 राजेन्द्र यादव
   (ब) पिता/पति/पालक का नाम श्रीराम यादव
   (स) जन्म दिनांक/वर्ष 10/12/1983 (ड) राष्ट्रीयता भारतीय
   (द) पासपोर्ट नं. जारी दिनांक जारी होने का स्थान
   (क) व्यवसाय नौकरी (ख) पता पुलिस थाना सिकसोड़

(आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण :
   नक्सली कमाण्डर ① विनोद ② दीपक ③ अनु ④ मैनुनाथ ⑤ अर्जुन ⑥ गीता ⑦ ललिता ⑧ रम्भो ⑨ प्रसाद ⑩ सोमजी ⑪ जयमति ⑫ कमलेश एवं अन्य 50-60 सशस्त्र सादे एवं वर्दीधारी महिला एवं पुरुष नक्सल
8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने मे विलम्ब का कारण देहाती नालसी पर से कायमी होने से
9. अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)
   ① केमरा वाला मोबाईल
   ② वेल्डिंग का कम्प्रेसर इत्यादि उपकरण।
10. * अपहृत/संबंध सम्पत्ति का कुल मूल्य 20,000 रु. [illegible]
11. * मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो)
12. प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें।)

Scanned by CamScanner

मैं थाना-सिकसोड़ में पदस्थ होकर वर्तमान में COB चारगांव में कार्यरत हूँ, आज उनि. भीमसेन यादव साहब ने देहाती नालसी असल नम्बर पर अपराध कायमी हेतु थाने पर भेजा जो देहाती नालिसी कायमी हेतु प्रस्तुत करता हूँ। जिसका विवरण निम्न है। देहाती नालिसी थाना-सिकसोड़ जिला उ०ब०कांकेर (छ.ग.) अपराध क्रमांक 0/15 धारा [illegible], 148, 149, 342, 395/397, 427, 435, 506, भा.द.वि. 25, 27, आर्म्स एक्ट 13, 15(क) 38(1) 39(1) 20, 23 वि. वि. क्रि. नि. अधि. नाम प्रार्थी- गोपाल सिंह पिता राजेन्द्र सिंह उम्र 23 वर्ष सा. म. नं. 292 ध्यान... वार्ड नं. 19 थाना-धरसीवां रायपुर मो. नं. 9754426381 हाल-बसंत नगर भानुप्रतापपुर दिनांक घटना 30/10/15 के 11/30 बजे लगभग, घटना स्थल चारगांव मेटाबोदली माईन्स पहाड़ी दिनांक व समय रिपोर्ट-30/10/15 के 14/35 बजे चारगांव माइंस, नाम आरोपी- नक्सली कमाण्डर (1) विनोद (2) दीपक (3) मधु (4) मैनुभगत (5) अर्जुन (6) मीना (7) ललिता (8) रम्भो (9) प्रसाद (10) सोमजी (11) जयमति (12) कमलेश (13) एवं अन्य 50-60 सशस्त्र सादे एवं वर्दीधारी महिला एवं पुरुष नक्सली अपहृत सम्पत्ति- एक कैमरे वाला मोबाईल और वेब्रिज का कम्प्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कीमती लगभग 20,000/- रुपये। विवरण- मैं फरवरी 2015 में निको कम्पनी में वेब्रिज आपरेटर के तौर पर कार्यरत होकर कंपनी के चारगांव स्थित माइंस में मार्च 2015 से आकर काम कर रहा हूँ। आज दिनांक 30/10/15 को हमेशा की तरह भानुप्रतापपुर से माइंस पर आया लगभग 9/45 बजे वेब्रिज पर पहुंचा और ट्रकों को खाली स्थिति में वजन करके नीचे लोड होने रवाना कर चुका था व 03 ट्रक लोड होकर वापस आने पर पुनः भी वजन कर पहाड़ी से नीचे रवाना कर चुका था लगभग 11/30 बजे वेब्रिज के सामने से उत्तर दिशा तरफ से मुझे हथियार बंद नक्सली लोग आते दिखे तो मैं तुरंत वेब्रिज से नीचे आया और चालान लेकर टी.पी. काट रहे पी.के. श्रीवास्तव एवं नवीन

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा .... का प्रकरण पंजीबद्ध क

विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * .... को प्रकरण विवेचना हेतु सौंप

गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थांना .... जिला

को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) ....

*(पद) ....

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

*(नं. यदि है) ....

प्रति,

माननीय न्यायालय .... की ओर सूचनार्थ ।

Scanned by CamScanner

लेकिन नक्सलियों ने मना कर दिया और बोलकर चले गये बोले की ये कोई भी वापस नहीं होगा और फिर लाल रंग से शासन विरोधी लेख लिखा हुआ भा.क.पा. माओवादी (रावघाट एरिया कमेटी) के नाम से अनेक पाम्पलेट फेंके हुये सभी नक्सली नारोल की तरफ पहाड़ से नीचे उतरे तब तक पुलिस और BSF के पार्टी भी आ गई मैं जो घायलों को मोटर सायकल से अस्पताल के लिये रवाना किये. शेष मजदूरों और ड्रायवरों को पैदल नीचे उतारे। इन नक्सलियों को मैं सामने से पहचान लूंगा। फिर मैंने देखा तो ब्रिज के पास व नीचे खड़े 24 ट्रक व 02 टिप्पर जिनके नम्बर (1) CG 04 JB 6124 (2) CG 04 H 89869 (3) CG 04 DN 6205 (4) CG 07 M-7587 (5) CG 04 JG-2135 (6) CG 07 AA 6713 (7) CG 07 M 87788 (8) CG 04 DN 5152 (9) CG 07 CA-2378 (10) CG 19 H-6124 (11) CG 07 LL-5854 (12) CG 19 H-1874 (13) CG 07 CA-5813 (14) CG 07 E-6713 (15) CG 07 CA 9729 (16) CG 04 JB-7390 (17) CG 07 CA 5562 (18) CG 07 NA-6713 (19) CG 04 HB-6718 (20) CG 07 AB-6713 (21) CG 07 AX 6621 (22) CG 04 JB 5506 (23) CG 07 CA-4921 (24) CG 07 CA-7613 (25) CG 07 CA-4812 टिप्पर (26) CG 07 CA 1002 टिप्पर ये जल चुके थे व दो ट्रक (1) CG 04 E 8113 तथा (2) CG 04 JC 8113 क्षतिग्रस्त थे तथा 02 JCB में भी तोड़ फोड़ कर नुकसान किये हैं एवं ब्रिज का कम्प्यूटर सहित उपकरण भी ये लोग साथ ले कर चले गये थे। तब तक वहाँ ए.के. मिश्रा (एसोसिएट हेड) भी आ गये थे, उन्हें भी घटना बताया व रिपोर्ट करता हूं। रिपोर्ट पढ़ कर देखा मेरे बताये अनुसार लिखि गई है।

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 147, 148, 149, 342, 395, 397, 427, का प्रकरण पंजीबद्ध क[र] विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा "435, 506 IPC 25, 27 आर्म्स एक्ट / 13, 15 (अ) को प्रकरण विवेचना हेतु सौंप[ा] गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना 20, 23, 38(1) 39(1) वि. वि. क्रि. अधि. को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता क[ो] निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी 1/10/15

Rajaklar C11161
अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

*(नाम) महावीर प्रसाद सिंह
*(पद) प्रधान आरक्षक
*(नं. यदि है) 63

प्रति,

माननीय न्यायालय J.M.F.C. भानुप्रतापपुर की ओर सूचनार्थ ।

Scanned by CamScanner

कुमार तथा हेल्पर रोशन को बहाना व हम सभी ट्रकों के पास कई एस.के. शुक्ला की तरफ गये तब तक लगभग 50-60 हथियार बंद नक्सलियों ने हमें घेर लिया थे अधिकांश हरे रंग की वर्दी पहने थे. लगभग उनमें 7-8 लोग सादे कपड़ों में थे व वर्दी पहने 7-8 महिला नक्सली भी थी फिर वे लोग आपस में एक दूसरे को नाम लेकर बात करने लगे की विनोद, दीपक, महे[illegible] तुम लोग BSF और पुलिस के ऊपर नजर रखो. मैनु, नाग, अर्जुन मणि और ललिता तुम लोग सभी को इकट्ठा करके बीच में बैठाओ और रम्मो प्रसाद, सोमजी तुम तीनो सभी के मोबाईल इकट्ठा करो. फिर उनमें एक महिला और एक पुरुष को जिसे ये लोग रामभाटि और कमलेश कह रहे थे ने अपने साथियों से कह कर हम सभी का परिचय पूछ पूछ कर धमकाते हुये बैठाने लगे फिर वे लोग पहाड़ पर काम कर रहे सभी 295 मजदूरों को वे ब्रिज के पास इकट्ठा कर बैठा दिये और सभी के मो. निकलवा कर अपने कब्जे में ले लिये और गाड़ियों के ड्रायवर और मजदूरों को अपने पास कुल्हाड़ी और बांस के डंडों से मारपीट की और ट्रकों के डीजल टैंक फोड़ कर उसमें आग लगा दी तथा इस मारपीट और आगजनी की घटना को मोबाईल कैमरे में रिकार्ड किये ~~किया~~ मेरे भी दाहिने हाथ की भुजा और पीठ में डंडा से मार पीट किये हैं और फिर सबसे परिचय पूछते हुये निक्को कम्पनी के श्रीवास्तव साहब, ट्रक मैनेजर नवीन कुमार, रोशन, भौमिक और बंजारे तथा अन्य ड्रायवरों एवं मजदूरों को भी डंडा से मारपीट किये तथा सभी धमकी दे रहे थे कि हम भा.क.पा. माओवादी संगठन के सदस्य है. आरेस में अगर अब के बाद काम करोगे तो सब का फोटो रिकार्डिंग हो चुका है जान से मार डालेंगे। तब तक एक JCB के अलावा सभी ट्रकों में आग पकड़ चुकी थी. तो नक्सलियों ने मोबाईल वापस करने को लेकिन जिस मोबाईल से रिकार्डिंग की थी उसे वापस नहीं किये. जिसका मोबाईल था उसका नाम भी

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा .... का प्रकरण पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * .... को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना .... जिला .... को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) ....

*(पद) ....

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

*(नं. यदि है) ....

प्रति,

माननीय न्यायालय .... की ओर सूचनार्थ ।

Scanned by CamScanner

घटना दिनांक 30/10/2015, चारगांव (मेटाबोदेली) जिला कांकेर छ.ग.

माओवादी नक्सलियो ने अपनी कायराना करतुत को एक बार फिर से दोहराते हुए दिनांक 30 अक्टुबर 2015 को जायसवाल निको इण्ड. लि. के चारगांव स्थित लौह अयस्क खदान में धावा बोल दिया । इस दिन खदान में लगभग 300 श्रमिक माईनिंग कार्य में रोज की तरह लगे हुए थे जिसे संचालित करने के लिए कम्पनी के माईन्स मैनेजर सहित 7–8 कम्पनी के स्टाफ सहित ठेकेदार के कर्मचारी भी काम में लगे हुए थे । खदान में उत्खनित कच्चा खनिजा के परिवहन हेतु ट्रक, टिप्पर, जेसीबी इत्यादि प्रतिदिन की तरह ठेकेदार के माध्यम से काम में लगाए गए थे ।

समय करीब सुबह 11.30 बजे 50–60 सषस्त्रधारी महिला एवं पुरूष नक्सलियो ने खदान में आकर श्रमिको को काम बंद करने एवं जान से मारने की धमकी देकर तुरन्त काम बंद करने को कहा गया और खदान में मौजुद सभी लोगो को घेर लिया गया एवं ट्रको के ड्राईवर एवं अन्य सहयोगियो को भी गाडिओ से उतरवा लिया गया इसके बाद धमकाने लगे और कहने लगे कि पहले काम बंद करने के लिए कहा गया था तो काम फिर से क्यों चालु किया गया । स्थल पर मौजुद सभी लोगो का मोबाईल बंद करवाकर मोबाईल महिला नक्सलियो द्वारा जब्त कर लिया गया और सभी लोगो से पुछताछ करने लगे और कहने लगे कि कोई भी यहां से अगर भागेगा उसे गोली मार दिया जाएगा । फिर नक्सलियो द्वारा ट्रकों से डिजल निकाल कर सभी गाडियो में छिढकने लगे और सभी गाडियो का आग के हवाले कर दिया गया । और श्री श्रवण शुक्ला, खदान प्रबंधक और श्री विपिन श्रीवास्तव, क्वालिटी इंजीनियर से पूछताछ करने लगे और डंडे से लगातार इतना पीटाई करने लगे कि दोनो जमीन पर ही धराषाई हो गए फिर भी लगातार उन पर प्रहार किया जाता रहा और सामने से आ रहे श्री नवीन कुमार, सहायक प्रबंधक को भी पुछताछ कर उन पर डंडे बरसाने लगे तो दूसरी ओर श्रमिको पर भी उनका गुस्सा कम नही हुआ और सभी पर कच्चे डंडे से निर्मम प्रहार किया जाने लगा जिससे कई श्रमिक और अधिकारी तो वही पर ही बेहोष हो गए इधर सभी गाडियो से आग की लपटे उठने लगी और पुकार कर कहने लगे कि कोई भी यहां पर काम में दुबारा आया तो जान से हाथ धोना पडेगा । कुछ ही दुर पर कम्पनी के अन्य सहायक प्रबंधक श्री स्वरूप भौमिक एवं श्री बी के बंजारे किसी तरह झाडियो में छिप गए साथ ही सुरक्षाकर्मी सुपरवाईजर श्री महेष सांडिल्य भी वहीं झाडियो के बीच जा छिप गया । इसी बीच नक्सली आपस में गोंडी एवं हिन्दी भाषा में एक दुसरे से बात करने लगे और महिला नक्सलियो द्वारा पुरे घटनाक्रम की जानकारी एवं दृष्य को मोबाईल एवं कैमरे से सूट कर लिया गया । सभी नक्सलियो के पास अलग अलग प्रकार के हथियार थे एवं लैपटाप इत्यादि का प्रयोग कर रहे थे ।

घटना स्थल पर जो गाडियां काम पर लगी हुई थी उसका विवरण इस प्रकार हैः–

जले हुए ट्रकेः–

1. CG 04 JB 6124; 2. CG 04 HB 9869; 3. CG04 DN 0205; 4. CG07 M 7585; 5. CG07 AA 6713; 6. CG07MB 7788; 7. CG04 JM 2135; 8. CG04 DN 5154; 9. CG07 CA 2378; 10. CG19 H 6124; 11. CG07 LL 5854; 12. CG19 H 1874; 13. CG07 CA 5813; 14. CG07 R 6713; 15. CG07 CA 9729; 16. CG04 JB 7390; 17. CG07 CA 5562; 18. CG07 NA 6713; 19. CG04 HB 6713; 20. CG04 AB 6713; 21. CG07 AX 6621; 22. CG04 JB 5506; 23. CG07 CA 4921; 24. CG07 CA 7613;

जले हुए टिप्परः–

1.CG07 CA 4012; 2. CG07 CA 1002

ट्रके जो नही जलीः–

1.CG04 JC 8113; 2. CG04 E 8113

तोडफोड की गईः–

दो जेसीबी में भी जबरदस्त तोड़फोड की गई साथ वेब्रिज के उपकरणो को भी तोड दिया गया । साथ ही सुरक्षा कर्मीयो के मोटर सायकिल को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया ।

अंततः नक्सलियो ने खदान पर जमकर उत्पात मचाया और श्रमिको एवं कर्मचारियो को खुब मारपीट कर घटना स्थल पर ही छोड़ दिया जिससे करोडो रूपये का नुकसान हो गया साथ ही पुरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया । जायसवाल निको के चारगांव स्थित प्राथमिक उपचार केन्द्र के माध्यम से घायलो का स्थल पर जाकर मरहम पटट्ी किया गया । घटना में लगभग 70 लोग घायल हुए जिनका ईलाज चारगांव, अंतागढ व भानुप्रतापपुर में किया गया । भानुप्रतापपुर में किये गए घायलो की सूची संलग्न है ।

भानुप्रतापपुर कार्यालय में खबर मिलते ही घायलो को घटना स्थल से उठाने के लिए तुरन्त दो बोलेरो एवं दो 108 एम्बुलेन्स गाडियो को रवाना किया गया फिर सभी घायलो को भानुप्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती किया गया और कम्पनी की ओर से सभी घायलो का ईलाज कराया गया । इस दौरान कम्पनी के सभी कर्मचारियो ने मुष्तैदी के साथ सभी की पूरी रात देख रेख की । घायलो में से श्री श्रवण शुक्ला एवं श्री श्रीवास्तव बुरी तरह जख्मी पाये गए जिन्हे प्राथमोपचार के तुरन्त बाद बेहतर चिकित्सा उपचार हेतु रायपुर रामकृष्ण मिषन अस्पताल रिफर किया गया ।

घटना की जानकारी मिलते ही तुरन्त श्री ए. के. मिश्रा चारगांव पहुँचे एवं चारगांव बीएसएफ कैम्प स्थित पुलिस चौकी में सूचना दी गई ।

घटना स्थल का दृष्य एवं समाचार पत्रो का संकल्न इसप्रकार है :–

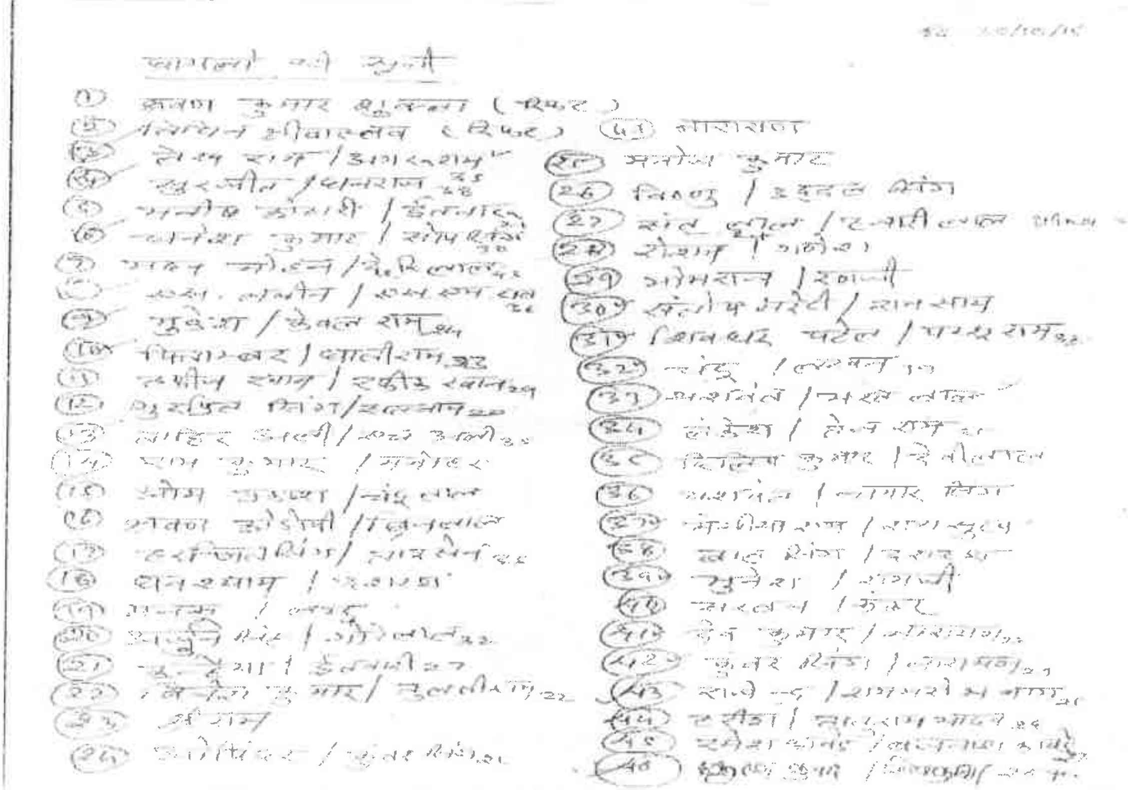

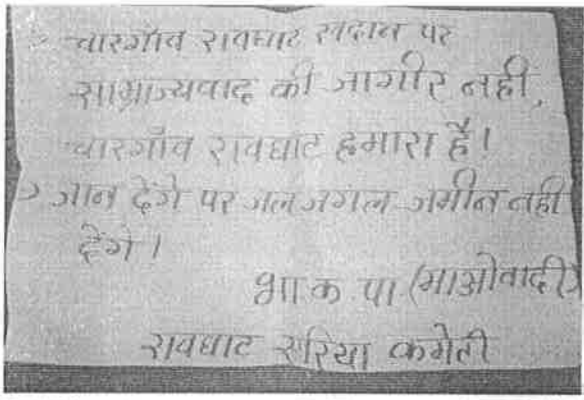
चारगाँव रावघाट खदान पर
साम्राज्यवाद की जागीर नहीं,
चारगाँव रावघाट हमारा हैं।
जान देंगे पर जल जंगल जमीन नहीं
देंगे।
भा क पा (माओवादी)
रावघाट एरिया कमेटी

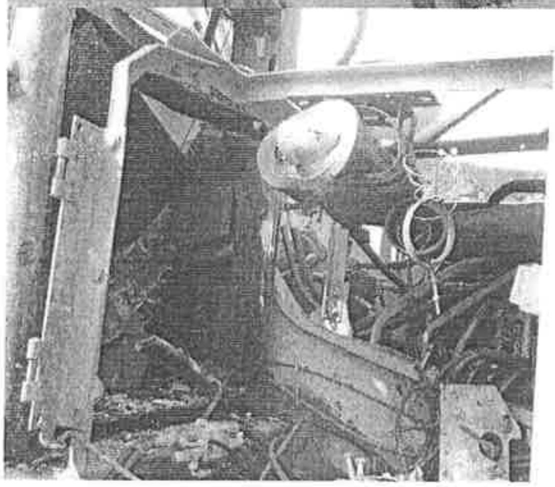

नक्सलियों ने 29 वाहन फूंके

सौ से ज्यादा नक्सलियों ने चारगांव खदान में मचाया उत्पात

कांकेर/अंतागढ़/कोयलीबेड़ा. का. नक्सलियों के विरोध के बीच पखवाड़े भर पूर्व शुरू हुई अंतागढ़ क्षेत्र की चारगांव लौह अयस्क खदान में शुक्रवार को माओवादियों ने दिनदहाड़े धावा बोल दिया. करीब 100 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद नक्सलियों ने खदान में लगे कर्मचारियों को पहले जमकर पीटा, उसके बाद खदान उत्खनन में लगी 25 ट्रक, दो हाईवा व दो जेसीबी को आग के हवाले कर दिया. घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पार्टी पर भी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला किया, हालांकि फोर्स को भारी पड़ता देख नक्सली पीछे हट गए.

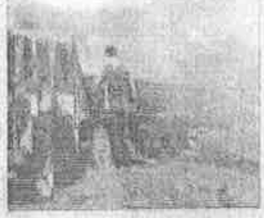

कांकेर नक्सल फायर

चारगांव की खदान में कतार से खड़े वाहनों को नक्सलियों ने आग लगा दी.

मुठभेड़ में दोनों ही तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ. नक्सली पूर्व में भी खदानों में लगे वाहनों को फूंक चुके हैं, पर इतने बड़े पैमाने पर वाहनों में आग लगाने की घटना पहली बार हुई है. ज्यादातर ट्रकें भानुप्रतापपुर इलाके की हैं. खदान में लगे वाहन प्रतिदिन की तरह शुक्रवार सुबह चारगांव खदान पहुंचे. दोपहर लगभग 12 बजे जंगल की तरफ से 100 की संख्या में हथियारबंद नक्सली खदान में पहुंचे. काम रुकवाने के बाद उन्होंने मजदूरों और वाहन चालकों की डंडों से बेदम पिटाई की.

पेज 1 का शेष

नक्सलियों ने....

मारपीट के बाद नक्सलियों ने सबको भगा दिया और खदान की केबिन और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर खड़ी 24 ट्रक, 3 जेसीबी मशीन और 2 टिप्पर को आग के हवाले कर दिया। करीब दो घंटे तक उत्पात मचाने के बाद नक्सली वहां से भाग निकले। सूचना मिलने पर दोपहर करीब 3 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक नक्सली वहां से भाग चुके थे। एएसपी कांकेर कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि चारगांव माईंस में कुछ वाहनों में आग लगाने की सूचना है। नुकसान का आंकलन नहीं हो सका है। पुलिस टीम नक्सलियों का पीछा करते हुए जंगल की ओर गई है।

उपद्रव | कांकेर में शुक्रवार को 29 वाहनों में लगाई आग

नक्सलियों ने 6 दिन में 20 करोड़ के 72 वाहन फूंके

- 40 से ज्यादा कर्मचारियों को बेदम पीटा, दो मैनेजर गंभीर
- हताश माओवादी अब निजी वाहनों को बना रहे हैं निशाना

भास्कर न्यूज | कांकेर

[illegible]

नक्सलियों की मजदूरों को चेतावनी- दोबारा काम शुरू किया, तो जान

दहशत... जान बचाने छोड़नी प

रोजी-रोटी का मोह त्यागकर खदान के मजदूर

XVI-(अ)—212
पुलिस हिन्दी

प्रतिपर्ण

पृष्ठ क्रमांक

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत) 40

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

1. *जिला कांकेर *थाना सिकसोड़ *वर्ष 2015 *प्र.सू.प.क्र. 06/2015 *दिनांक 02/04/2015

2. (1) *विधान भा० द० वि० धाराएं 147, 148, 149, 342, 323, 364, 395

(2) *विधान धाराएं

(3) *विधान धाराएं

(4) *अन्य विधान एवं धाराएं 25, 27 आर्म्स एक्ट

3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्र.

(ब) *घटना का दिन बुधवार *दिनांक 01/04/2015 से समय 08/15 बजे से 15/30 बजे तक

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 02/04/2015 समय 19/00 बजे रो. सा. क्र. 42

4. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक

5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी उत्तर पश्चिम 10 कि०मी०

(ब) *घटना स्थल का पता चारगांव लोहा पहाड़ी एवं जंगल

बीट नं.

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना —x— जिला —x—

6. अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम मिथिलेश चौधरी

(ब) पिता/पति/पालक का नाम श्री कमलेश्वरी चौधरी

(स) जन्म दिनांक/वर्ष 47 वर्ष (ड) राष्ट्रीयता भारतीय

(द) पासपोर्ट नं. —x— जारी दिनांक —x— जारी होने का स्थान —x—

(क) व्यवसाय प्राइवेट नौकरी (ख) पता खुमलपुर (बाला) थाना- असरगंज, जिला- मुंगेर (बिहार) हाल लक्ष्मणपुर रोड BSNL ऑफिस के पीछे भीमसेन यादव DS उसेली निवास भानुप्रतापपुर जि० कांकेर छ०ग० (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण : सिकसोड़ नक्सली कमाण्डर (01) विनोद (02) अर्जुन पद्दा (03) दीपक एवं उनके अन्य 15-20 हथियारबंद माओवादी नक्सली साथी -

8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने मे विलम्ब का कारण देहाती नालिसी पर से

9. अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

(1) D.G.P.S सर्वे उपकरण 02 नग

(2) G.P.S सर्वे उपकरण 02 नग

कुल कीमती - 04 लाख रुपये लगभग

10. *अपहृत/संबंध सम्पत्ति का कुल मूल्य 4,00,000/- रू० (चार लाख) रुपये

11. *मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो)

12. प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें।)

Scanned by CamScanner

मैं उप निरीक्षक अभिलेख यादव थाना सिकलोड़ में थाना प्रभारी पद पर पदस्थ हूँ दिनांक 01/04/15 को वरिष्ठ अधिकारियों से जरिये टेलीफोन सूचना मिला कि चारगांव लोहा पहाड़ी में निको जयसवाल कम्पनी के अधिकारी कर्मचारियों को माओवादी नक्सली अपहरण कर ले गये है कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ उप निरी. खेलन साहू, उप निरी. मधुनाथ ध्रुव के BSF कैम्प चारगांव पहुंच। सूचना की तस्दीकी के दौरान निको जयसवाल कम्पनी के अभियंता (खनन) श्री निखिलेश चौधरी द्वारा उसे एवं कम्पनी के अन्य कर्मचारियों को नक्सलियों द्वारा अपहरण कर ले जाने मारपीट एवं लूट पाट करने की घटना के संबंध में लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया आवेदन पत्र के मजमून से नक्सलियों द्वारा धारा 147, 148, 149, 342, 323, 364, 395 भा.द.वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध कारित करना पाए जाने से मौके पर देहाती नालसी क्रमांक 0/15 पंजीबद्ध किया जो आज दिनांक को थाना वापस आकर असल नंबरी अपराध पंजीबद्ध किया देहाती नालिसी विवरण नकल जैल है- मैं निको जयसवाल कम्पनी में अभियंता (खनन) के पद पर कार्यरत हूँ। आज दिनांक 1/04/15 को प्रातः 8:45 बजे नक्सलियों द्वारा मुझे एवं कम्पनी के कर्मचारियों को अपहरण कर मार पीट कर सामान लूट लिए जिसकी लिखित रिपोर्ट पेश करता हूँ. प्रार्थी के लिखित रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0/2015 धारा 147, 148, 149, 342, 323, 364, 395 IPC, 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा .... का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा — लगातार — .... को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना .... जिला .... को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति सूचनाकर्त्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) ....

*(पद) ....

*(नं. यदि है) ....

प्रति,

माननीय न्यायालय .... की ओर सूचनार्थ ।

Scanned by CamScanner

XVI-(a)—212
पुलिस हिन्दी

प्रतिपर्ण

पृष्ठ क्रमांक 42

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

1. * जिला .... *थाना .... *वर्ष .... *प्र.सू.प.क्र. .... *दिनांक ....
2. (1) *विधान .... धाराएं ....
(2) *विधान .... धाराएं ....
(3) * विधान .... धाराएं ....
(4) * अन्य विधान एवं धाराएं ....
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्र. ....
(ब) * घटना का दिन .... *दिनांक .... *समय ....
(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय .... रो. सा. क्र. ....
4. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक ....
5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी ....
(ब) * घटना स्थल का पता .... बीट नं. ....
(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना .... जिला ....
6. अभियोगी/सूचनाकर्त्ता : (अ) नाम ....
(ब) पिता/पति/पालक का नाम ....
(स) जन्म दिनांक/वर्ष .... (ड) राष्ट्रीयता ....
(द) पासपोर्ट नं. .... जारी दिनांक .... जारी होने का स्थान ....
(क) व्यवसाय .... (ख) पता ....

(आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण :

....

8. अभियोगी/सूचनाकर्त्ता द्वारा सूचना दिये जाने मे विलम्ब का कारण ....
....
9. अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)
....
....
10. * अपहृत/संबंध सम्पत्ति का कुल मूल्य ....
11. * मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो) ....
12. प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें।)

Scanned by CamScanner

ढोने वाला ट्रक तथा उनके ड्राईवर और लकड़ी कटाई ढुलाई में लगे मजदूर करीबन 40-50 की संख्या में काम में लगे थे जब हम लोग दोनों वाहन के व्हिकल सर्वेक्षण का काम करके माईल पहाड़ पर चढ़ने लगे तभी 02 नक्सली हमारे पीछे की ओर से ढलान तरफ से फायरिंग करते हुए बन्दूक लेकर आर. आके साथ 02 अन्य नक्सली बंदूक सहित हमें घेरते हुए आए और बोले की यहां से भागना मत नहीं तो गोली मार देंगे तब हम लोग डर कर वहीं खड़े हो गये फिर हम लोगों को बोले की आगे-आगे जल्दी से चलते रहो वहां पर S.K. पाल एवं प्रदीप सिंह को छोड़ दिए. और हम सभी लोगों को पहाड़ी के ऊपर तरफ पश्चिम दिशा में लगभग 01 कि.मी. ले गए - वहां उनके पास अन्य नक्सली 10-15 की संख्या में सशस्त्र वर्दीधारी हम लोगों को घेर के खड़े थे. वहां पर हम लोगों व मजदूरों को बैठा दिये सबके सामने लेबर मुंशी भानी राम नरेटी को नक्सली लोग डंडा से खूब मार पीट किये जब भानी राम बेहोश हो गया तो उसे मारना छोड़ दिए और सभी मजदूरों से टंगिया छीन लिए तथा बोले की जल-जंगल-जमीन हम लोगों का है, यहां खदान खोलोगे तो जान से खत्म कर देंगे, दुबारा काम पर आओगे तो इसी टंगिया से काटकर खत्म कर देंगे. वहां पर से हम 01 लोगों को अलग कर अपने साथ जंगल की ओर ले गए और बोले की तेजी से दौड़ते चलो जिसमे-

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा .... का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * लगातार - 04 .... को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना .... जिला .... को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति सूचनाकर्त्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

(signature) 02/04/15

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) भीमसेन 3169

*(पद) उप निरी.

*(नं. यदि है) P.S. सिकसोड़

(signature) 02/04/15

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

प्रति,

माननीय न्यायालय JMFC भानुप्रतापपुर .... की ओर सूचनार्थ ।

+

Scanned by CamScanner

XVI-(अ)—212
पुलिस हिन्दी

प्रतिपर्ण

पृष्ठ क्रमांक

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत) 41

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

1. *जिला .... *थाना .... *वर्ष .... *प्र.सू.प.क्र. .... *दिनांक ....
2. (1) *विधान .... धाराएं ....
(2) *विधान .... धाराएं ....
(3) *विधान .... धाराएं ....
(4) * अन्य विधान एवं धाराएं ....
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्र. ....
(ब) * घटना का दिन .... *दिनांक .... *समय ....
(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय .... रो. सा. क्र. ....
4. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक
5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी ....
(ब) * घटना स्थल का पता ....
.... बीट नं. ....
(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना .... जिला ....
6. अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम ....
(ब) पिता/पति/पालक का नाम ....
(स) जन्म दिनांक/वर्ष .... (ड) राष्ट्रीयता ....
(द) पासपोर्ट नं. .... जारी दिनांक .... जारी होने का स्थान ....
(क) व्यवसाय .... (ख) पता ....

(आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण :

8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने मे विलम्ब का कारण ....
....
....
9. अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)
....
....
....
....
....
10. * अपहृत/संबंध सम्पत्ति का कुल मूल्य ....
11. * मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो) ....
12. प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें।)

Scanned by CamScanner

लिया गया, प्रार्थी का आवेदन पत्र नकल जैल है- प्रति श्रीमान थाना प्रभारी
सिकसोड़ जिला कांकेर विषय नक्सलियों द्वारा अपहरण कर मार पीट कर
एवं सम्मान लूटने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने बाबत महोदय उपरोक्त
अनुसार उल्लेख है कि मैं मिथिलेश चौधरी पिता श्री कमलेश्वरी चौधरी
उम्र 47 वर्ष निवासी रहमतपुर पो० बरसगंज थाना - बरसगंज जिला
1. मुंगेर (बिहार) का रहने वाला हूं, मैं चार दिसम्बर 2014 को जयसवाल
2. निको कम्पनी में अभियंता (खनन) के पद पर नियुक्त हुआ हूं और
भानुप्रतापपुर में रह रहा हूं, मेरे साथ कंपनी के अन्य अधिकारी / कर्म०
भी रहते हैं. हम लोग पिछले चार दिनों से सर्वेविंग (का) काम करवा
रहे हैं- प्रति दिन भानुप्रतापपुर से चारगांव आना जाना करते हैं. आज
3. दिनांक 01/04/2015 को लगभग 06/45 बजे सुबह भानुप्रतापपुर से
X710 गाड़ी में हम पांच व्यक्ति जिसमें मैं स्वयं तथा R.K श्रीवास
4. (सहायक अभियंता खनन) दिनेश केवट (सर्वेयर) दिनानाथ पटेल (सर्वेयर)
5. एवं सुरेश कुमार पटेल (ड्राईवर) थे दूसरी गाड़ी BOLERO में S.K. पॉल
(जियोलाजिस्ट) D.K. साहु (जियोलाजिस्ट) लोकेश साहु (जियोलाजिस्ट)
तथा झुम्मन पटेल (ड्राईवर) थे हम लोग 8/30 बजे लगभग चारगांव
पहुंचे. चारगांव में R.K. श्रीवास उतर गये चारगांव के BSF कैम्प के
6. पास GPS का वन्य Point लेने की तरह कोई किए वाह खदान की
ओर 8/45 बजे गये माईस पहाड़ी में 01 JCB एवं 01 लकड़ी

7. 13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा .... का प्रकरण पंजीबद्ध कर

विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * ——— लगातार 03 — .... को प्रकरण विवेचना हेतु सौपा

गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना .... जिला ....

को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 ''ब'' के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति सूचनाकर्त्ता को

निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

8.

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

9.

*(नाम) ....

*(पद) ....

*(नं. यदि है) ....

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

प्रति,

माननीय न्यायालय .... की ओर सूचनार्थ ।

10.

11.

12.

Scanned by CamScanner

XVI-(a)—212
पुलिस हिन्दी

प्रतिपर्ण

पृष्ठ क्रमांक 44

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)
FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

1. * जिला .... *थाना .... *वर्ष .... *प्र.सू.प.क्र. .... *दिनांक ....
2. (1) *विधान .... धाराएं ....
   (2) *विधान .... धाराएं ....
   (3) * विधान .... धाराएं ....
   (4) * अन्य विधान एवं धाराएं ....
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्र. ....
   (ब) * घटना का दिन .... *दिनांक .... *समय ....
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय .... रो. सा. क्र. ....
4. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक
5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी ....
   (ब) * घटना स्थल का पता .... लगातार - 08
   .... बीट नं. ....
   (स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना .... जिला ....
6. अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम ....
   (ब) पिता/पति/पालक का नाम ....
   (स) जन्म दिनांक/वर्ष .... (ड) राष्ट्रीयता ....
   (द) पासपोर्ट नं. .... जारी दिनांक .... जारी होने का स्थान ....
   (क) व्यवसाय .... (ख) पता ....
7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)
8. अभियोगी/सूचनाकर्त्ता द्वारा सूचना दिये जाने मे विलम्ब का कारण ....
   ....
   ....
9. अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....
10. * अपहृत/संबंध सम्पत्ति का कुल मूल्य ....
11. * मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो) ....
12. प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें ।)

Scanned by CamScanner

चल रहे थे, हमारे साथ चलने वाले नक्सलीयों में से 03 लोग (आपस में एक दूसरे को विनोद भैया, अर्जुन भाई, एवं दीपक दादा कहकर पुकार रहे थे. नक्सलीयों द्वारा धमकी दिये जाने से हम लोग अत्यन्त भयभीत है. जिसका मैं लिखित रिपोर्ट कर रहा हूँ. कृप्या कार्यवाही की जाय प्रार्थी हस्ताक्षर अस्पष्ट मिथिलेश चौधरी S/0 स्व. कमलेश्वरी चौधरी उम्र. 47 वर्ष निवासी रहमलपुर पोस्ट असरगंज थाना- असरगंज जिला- मुंगेर (बिहार) हाल सम्बलपुर रोड BSNL आफिस के पीछे उसेली निवास भानुप्रतापपुर (छ.ग.) हस्ताक्षर प्रार्थी अस्पष्ट अंग्रेजी में (मिथिलेश) चौधरी हस्ताक्षर विवेचक भीमसेन यादव उप निरी० थाना- सिकसोड़ जिला- कांकेर

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 147, 148, 149, 342, 323, 364, 395 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * 25, 27 आर्म्स एक्ट .... को प्रकरण विवेचना हेतु सौपा गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना .... जिला .... को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति सूचनाकर्त्ता को नि:शुल्क प्रदाय की गयी ।

[signature] 21/04/15

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) भीमसेन यादव

*(पद) उप निरी०

*(नं. यदि है) P S सिकसोड़

[signature] 21/04/15

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

प्रति,

माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. भानुप्रतापपुर .... की ओर सूचनार्थ ।

+

Scanned by CamScanner

XVI-(a)—212
पुलिस हिन्दी

प्रतिपर्ण

पृष्ठ क्रमांक 43

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec: 154 Cr. P.C.)

1. * जिला .... *थाना .... *वर्ष .... *प्र.सू.प.क्र. .... *दिनांक ....

2. (1) *विधान .... धाराएं ....

(2) *विधान .... धाराएं ....

(3) *विधान .... धाराएं ....

(4) *अन्य विधान एवं धाराएं ....

3. (अ) संदर्भित रोज़नामचा साहा क्र. ....

(ब) * घटना का दिन .... *दिनांक .... *समय ....

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय .... रो. सा. क्र. ....

4. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक ....

5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी ....

(ब) * घटना स्थल का पता ....

.... बीट नं. ....

.... जिला ....

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना ....

6. अभियोगी/सूचनाकर्त्ता : (अ) नाम ....

(ब) पिता/पति/पालक का नाम ....

(स) जन्म दिनांक/वर्ष .... (इ) राष्ट्रीयता ....

(द) पासपोर्ट नं. .... जारी दिनांक .... जारी होने का स्थान ....

(क) व्यवसाय .... (ख) पता ....

(आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण :

8. अभियोगी/सूचनाकर्त्ता द्वारा सूचना दिये जाने मे विलम्ब का कारण ....

....

....

9. अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

....

....

....

....

....

10. * अपहृत/संबंध सम्प्रत्ति का कुल मूल्य ....

11. * मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो) ....

12. प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें ।)

Scanned by CamScanner

(01) मैं स्वयं (2) दिनेश कोर्राम (3) दीनानाथ पटेल (4) जुम्मन पटेल (5) सुरेश कुमार पटेल (6) मोह० अबरार (7) अरविंद ओगरे (8) दिनेश कुमार निर्मलकर (9) पिंटु मेहता शामिल थे, हम लोगों को 15-16 कि.मी. अन्दर जंगल में ले जाकर एक घर में ले गये वहाँ दाल भात खाने को दिए फिर 01 कमरे में सभी को करीब 02 घण्टे बैठाकर रखे वहाँ केवल 02 घर था, कौन सा स्थान व गांव था नहीं मालूम वहां पर हम सभी को चेतावनी दिये कि दुबारा काम करने मत आना नहीं तो मार देंगे बोलकर हम सभी का मोबाईल से फोटो खींचे पश्चात एक पगडंडी रास्ता दिखाकर बोले की इसी रास्ते में सीधा चले जाओ उस समय दोपहर के लगभग 03/30 बजे थे, हम लोग पैदल चलते-चलते शाम करीब 06/30 बजे BSF कैम्प चारगांव पहुंचे सर्वेयरों द्वारा पास में रखे 02 DGPS एवं 02 GPS नक्सली लोग उसी मकान में उतरवा रख लिए जिसकी कीमत करीबन 04 लाख रुपये है, वापसी में हम लोगों को एक-एक पाम्पलेट भी दिये जो खनिज उत्खनन के विरोध में था, और कहे BSF वालों को दे देना हम लोगों को 04 नक्सली चलने के दौरान आगे पीछे से घेर कर चल रहे थे, सभी सादे कपड़ों में थे. 02 नक्सली फुल पेंट कमीज और 02 नक्सली चड्डा (नेकर) कमीज पहने हुए थे, चड्डे वाले छोटा बंदूक और एक लम्बा बंदूक रखे थे, फुल पैंट वाले 01 पिस्टल और 01 देशी कट्टा रखे हुए थे, अन्य 15-20 नक्सली बंदूक लिए हुए वर्दी पहने हुए दूर से घेर कर -

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा .... का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * ....[illegible] - 8 -.... को प्रकरण विवेचना हेतु सौपा गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना .... जिला .... को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 ''ब'' के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति सूचनाकर्त्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) भीमसेन साहू

*(पद) उ/नि.

*(नं. यदि है) P/S [illegible]

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

प्रति,

माननीय न्यायालय .... [illegible] भानुप्रतापपुर .... की ओर सूचनार्थ ।

Scanned by CamScanner

घटना दिनांक 01/04/2015, चारगांव (मेटाबोदेली) जिला कांकेर छ.ग.

सिकसोड थाना अन्तर्गत जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लि. की ग्राम चारगांव स्थित मेटाबोदली लौह अयस्क खदान में रोजाना की भांति करीबन 40 मजदूर पेड़ कटाई एवं कटी हुई लकडियों के परिवहन हेतु काम पर लगे हुए थे साथ ही खदान पर DGPS भौगोलिक सर्वे का कार्य भी किया जा रहा था जिसमें कम्पनी के खदान अभियंता श्री मिथिलेष चौधरी (47 वर्ष) अपने सहायक स्टाफो के साथ साथ DGPS भौगोलिक सर्वे कार्य के लोग भी अपना कार्य कर रहे थे तभी अचानक तड़के 8.45 बजे सुबह हथियारबंद 20 माओवादी नक्सली मौके पर आकर काम बंद करवा दिये फिर पीछे के तरफ फायरिंग करते हुए कहने लगे कि कोई भी यहां से भागने की कोषिष करेगा उसे गोली से मार दिया जाएगा। माओवादी बंदुक एवं हथियार का डर दिखाकर सभी कर्मचारियो एवं श्रमिको का अपने कब्जे में ले लिया एवं कहने लगे कि बार बार मना करने के बावजूद काम क्यों चालू कर रहे हो फिर सभी को एक साथ खड़े करके श्रमिको को कच्चे लकडियों से बुरी तरह पिटा गया जिसमें आस पास काम में लगे श्रमिक एवं कम्पनी के कुछ कर्मचारी वहां से भाग पाने में कामयाब हो गए एवं बाकी लोगो को भी अपने साथ जंगल एवं नाले के रास्ते से अगुवा कर ले गए। रास्ते में अपहृत सभी श्रमिको को बुरी तरह पिटा गया एवं बीच जंगल में घायल अवस्था में छोड़ दिया गया परंतु अभियंता श्री मिथिलेष चौधरी व सर्वे कार्य में लगे सभी लोगो को आँखो में पटट्ी बांधकर साथ ले गए एवं धमकी भरे शब्दों में कहने लगे की इन सभी का बहुत बुरा हाल होने वाला है जिसकी खबर कल के समाचार पेपर पर मिल जाएगा। मौके के दिन कार्य पर एक जेसीबी, लकडी परिवहन हेतु एक ट्रक, एक ट्रेलर तथा इन गाडियो ड्राईवर व हेल्पर एवं कम्पनी एवं सर्वे कार्य के कर्मचारियो समेत करीब 50 लोग काम पर लगे हुए थे। अपहृत श्रमिको में से सनी राम (सुपरवाईजर) को बुरी तरह से कच्चे लकडी से करीब 30–40 बार पीठ पर मारा गया और उसे जंगल में फेंक दिया गया। सनी राम इस क्षेत्र का होने के कारण किसी तरह करीब 2 बजे चारगांव पहुंच पाया इसके पष्चात कम्पनी के अधिकारियो को उक्त घटना की पुरी जानकारी दी गई एवं पास में स्थित बी एस एफ कैम्प/पुलिस चौकी पर पुरी जानकारी कम्पनी के अधिकारियो द्वारा दी गई।

माओवादी अपने साथ सर्वे कार्य में संलग्न DGPS भौगोलिक उपकरण 2 नग एंव GPS 2 उपकरण 2 नग भी साथ ले गए जिसकी कीमती लगभग 4 लाख आंकी जाती है। घटना की जानकारी कम्पनी के कर्मचारियो को लगभग 9.30 बजे लगी तभी चारगांव आकर इसकी सूचना चारगांव बी एस एफ कैम्प/पुलिस चौकी को दी गई ताकि अपहृत अधिकारियो एवं श्रमिको को किसी भी तरह से सुरक्षित लाया जा सकें।

कुछ देर पष्चात बी एस एफ कमांडेट के निर्देषानुसार मोर्चा संभालते हुए बी एस एफ के जवान पहाडी की ओर गष्त पर निकले जहां पर वारदात हुआ था। माओवादियो ने लगभग शाम 5 बजे अपहृत सभी लोगो को चारगांव के पास जंगल में छोडकर चले गए और दुबारा काम पर आने से जान से मार देने की हिदायत दे गए। वापस आने पर श्री चौधरी जी एवं अन्य ने घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी थाना प्रभारी चारगांव व सिकसोड व अन्य वरि. पुलिस अधिकारियो को दी।

XVI-(a)—212
पुलिस हिन्दी

प्रतिपर्ण

पृष्ठ क्रमांक 38

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)
FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

1. * जिला कांकेर *थाना सिकसोड़ *वर्ष 2015 *प्र.सू.प.क्र. 5/2015 *दिनांक 10/2/2015
2. (1) *विधान भा० द० वि० धाराएं 147, 148, 149, 435, 395
   (2) *विधान धाराएं
   (3) * विधान धाराएं
   (4) * अन्य विधान एवं धाराएं 25, 27 आर्म्स एक्ट
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्र.
   (ब) * घटना का दिन रविवार *दिनांक 8/2/2015 *समय शाम 5.30 बजे
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 10/2/2015 समय 13.30 बजे रो. मा. क्र. 251
4. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक
5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी 10 KM. उत्तर – पश्चिम
   (ब) * घटना स्थल का पता चारगांव लोहा पहाड़ी PS सिकसोड़
   बीट नं.
   (स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना जिला
6. अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम चिन्ता राम पटेल
   (ब) पिता/पति/पालक का नाम श्री शेरू राम पटेल जाति मरार
   (स) जन्म दिनांक/वर्ष 35 वर्ष (ड) राष्ट्रीयता भारतीय
   (द) पासपोर्ट नं. जारी दिनांक जारी होने का स्थान
   (क) व्यवसाय ड्रायवरी (ख) पता ओड़ियापारा संबलपुर थाना भानुप्रतापपुर जिला– कांकेर
   (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)
7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण :
   (1) नक्सली कमाण्डर राजू सलाम साकिन मरदा (2) अर्जुन पद्दा साकिन कोयेपारा भैंसासुर (3) कारिया नरेटी सा० कोसेपारा (4) कैशारू साकिन कोनोड़ी (5) दर्शन पद्दा रूकनार क्षा० (6) हीरालाल पोटाई साकिन लोहारी (7) सूबेसिंग मरार साकिन सरगीकोट एवं 10-15 अन्य बंदूक वर्दीधारी Nax.
8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने मे विलम्ब का कारण डर एवं Nax दहशत के कारण
9. अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)
   (1) दो एक्साइड बैटरी 12-12 वोल्ट की कीमती दस हजार रुपये
   (2) एक टाटा कंपनी का मेटाडोर माडल 1109 रजिस्ट्रेशन नं. CG.04 JC 0445 कीमती करीबन 7 लाख (सात लाख) रुपये
10. * अपहृत/संबंध सम्पत्ति का कुल मूल्य सात लाख दस हजार रुपये करीबन
11. * मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो)
12. प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें।)

Scanned by CamScanner

मैं गोड़री पारा संबलपुर थाना भानुप्रतापपुर का निवासी हूँ। चारपहिया वाहन चालक हूँ अप्रेल 2014 से संबलपुर के संतोष यादव के मेटाडोर 1109 रजि० क्र० CG 04 JC-0445 को चला रहा था। दिनांक 8/2/15 को चारगांव लोहा पहाड़ी में काम करवा रहे निको कम्पनी के कर्मचारी संदीप श्रीवास्तव ने उक्त वाहन को किराये में लिया था मैं उनके कहने पर लेबरो से लकड़ी लोड करवाकर काटे गये लकड़ी को फारेस्ट डिपो चारगांव पहुंचा रहा था शाम करीब चार बजे उक्त वाहन में लेबरो से पहाड़ी पहाड़ी में कटे गये लकड़ी लोड करवा रहा उसी समय 7 नक्सली बंदूक लिये वर्दी पहने आये और बंदूक दिखाकर सभी लेबरो को जल्दी-जल्दी गाड़ी के ऊपर केबिन ऊपर एवं गाड़ी के नीचे भी लकड़ी डालने बोले और गाड़ी से लगे दो एक्साइड बैटरी को निकाले एवं लेबरो द्वारा लकड़ी डालने उपरांत सभी नक्सली गाड़ी में पत्ता डालकर लाइटर से आग लगा दिये एवं धमकी दिये कि काम बंद करो नहीं करने पर जान से खत्म कर देंगे गाड़ी जलकर नष्ट हो गया। दो लेबरो से दोनो बैटरी को उठवाकर पहाड़ी जंगल की ओर लेकर चले गये उनके जाने के बाद लेबरो से पूछा तो Nax-कमाण्डर राजू सलाम, Nax-सदस्य अर्जुन पद्दा, कारिया नरेटी, बैसारु, दर्शन पद्दा, हीरालाल पीलाई एवं सुखेसिंग मरार होना बताये आसपास झाड़ियों में 10-15 अन्य नक्सली छिपे हुये थे जो बंदूक रखे थे सभी आपस में गोंडी भाषा बोल रहे थे। गाड़ी के सभी कागजात भी गाड़ी के साथ जल गया कि रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जाये

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 147, 148, 149, 435, 395 IPC 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध क
विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * .... को प्रकरण विवेचना हेतु सौंप
गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना .... जिला ....
को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।
अभियोगी/सूचनाकर्त्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को
निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

चितराम

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी 8/2/15
*(नाम) भीमसेन यादव
*(पद) उप निरीक्षक
*(नं. यदि है) ....

प्रति,

माननीय न्यायालय .... JMFC भानुप्रतापपुर .... की ओर सूचनार्थ ।

Scanned by CamScanner

घटना दिनांक 08/02/2015, चारगांव (मेटाबोदेली) जिला कांकेर छ.ग.

दिनांक 8 फरवरी 2015 को सिकसोड थाना अंतर्गत ग्राम चारगांव के मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान में करीबन 10–12 हथियारबंद माओवादियो तीन मोटर सायकल से खदान पर आये और मोटर सायकिल उन्हे छोडकर वापसी चली गई और दोपहर 2.30 बजे कटी हुए लकडियो के परिवहन कार्य में लगी TATA Metadoor CG 04 JC 0445 को आग के हवाले कर दिया यह गाडी लकडियो से भरी हुई थी तभी हथियारबंद माओवादियो ने सभी काम करने वालो को जान से मार देने की धमकी देते हुए पहले ड्राईवर को गाडी से उतारा फिर डिजल डालकर आग लगा दी जिससे गाडी पुरी तरह खाक हो गया । यह गाडी जायसवाल निका कम्पनी के चारगांव लौह अयस्क खदान में कटी हुई लकडियों को लेकर अस्थाई डिपो चारगांव तक रोजाना लाती थी ।

इसी तरह माओवादी बंदुक की नोक पर अपनी मनमानी कर रहे है जिससे क्षेत्र के भोलेभाले लोग चाह कर भी अपना विकास नही कर पा रहे है एवं बाहर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ।

पत्रिका 10 फरवरी 2015

माओवादियों ने ट्रक को किया आग के हवाले

लकड़ी ढुलाई के कार्य में लगा था ट्रक

कांकेर/अंतागढ़ @ पत्रिका

patrika.com/cit

चारगांव माइंस एरिया से लकड़ी ढुलाई में लगे ट्रक को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। सिकसोड़ थानातर्गत ग्राम चारगांव खदान मे माइंस एरिया में लकड़ियो के ढुलाई मे लगे एक माजदा वाहन को शाम चार बजे माओवादियो ने आग के हवाले कर मजदूरों को भगा दिया।बताया गया कि तीन मोटरसाइकिलों में वर्दीधारी चार सशस्त्र माओवादी आए थे। जानकारी के अनुसार रविवार को ग्राम चारगांव के समीप खदान में पहाड़ियो पर काटे गए लकड़ियों का माजदा ट्रक से परिवहन किया जा रहा था। लगभग चार बजे शाम को जंगल के रास्ते से चार माओवादियो ने बन्दुक की नोक से मजदुरो को डरा धमका कर कार्य स्थल से भगा दिया ।इसके बाद वाहन के डीजल टंकी को फोड़ कर आग लगा दी। एक माह पूर्व भी चारगॉव खदान में सड़क निर्माण कार्य में ल[illegible] नये पोकलेन को 25-30 हथियार[illegible] लैस नक्सलियों ने आग के हवाले किया था और खदान प्रबंधन को खदान बंद करने की चेतावनी दी थी माओवादियों ने चारगॉव खदान के साथ साथ रावघाट खदान को भी बंद करने की चेतावनी देकर पर्चे भी फेंके थे।

10 फरवरी 2015 दैनिक भास्कर

[illegible]ल्गुन कृष्ण पक्ष-6, 2071

लकड़ी भरे वाहन में नक्सलियों ने लगाई आग

भास्कर न्यूज | भानुप्रतापपुर

चारगांव में 8 फरवरी को दोपहर तीन से चार बजे के बीच एक बाइक पर सवार होकर चार लोग आए, जो नक्सली थे। बाइक चालक इन्हें छोड़कर वापस चला गया। इसी समय चारगांव रास्ते पर निको जायसवाल माइंस के ठेकेदार के द्वारा माजदा वाहन में लकड़ी लोड कराई जा रही थी।

नक्सलियों ने वाहन में आग लगा दिया। वाहन में आग लगाने के पहले वाहन चालक को वाहन से अपने सामान उतारने कहा। मौके पर मौजूद 50 से 60 मजदूरों को धमकाया कि और यहां काम करोगे तो जान से मार देंगे। वाहन विजय हर्दवानी भानुप्रतापपुर का है। यह गाड़ी मेटाबोदली चारगांव खदान से कटे हुए लकड़ी का परिवहन चारगांव में ही बने अस्थाई डिपो में कर रही थी।

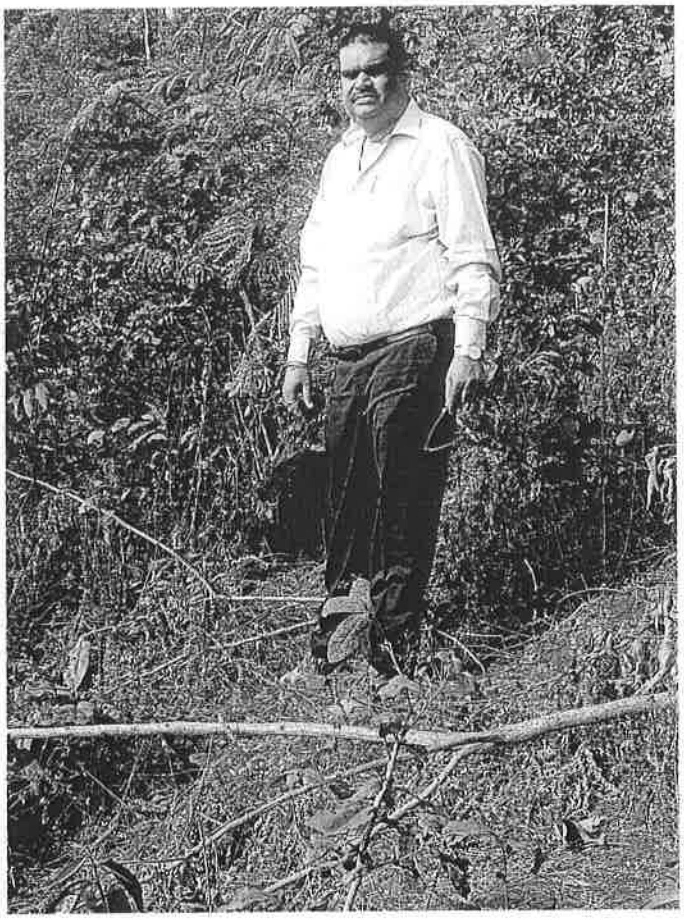

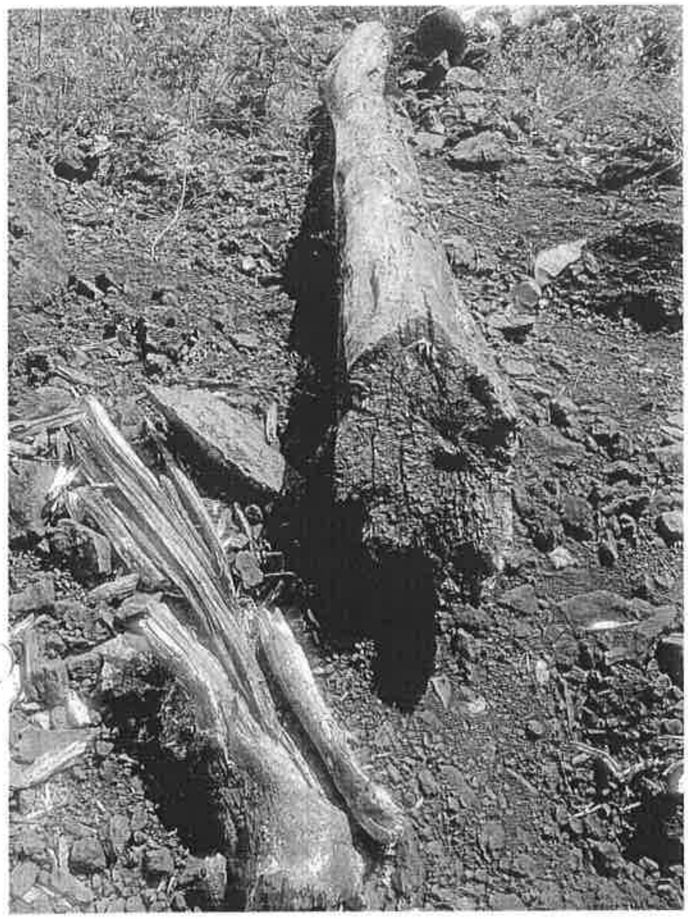

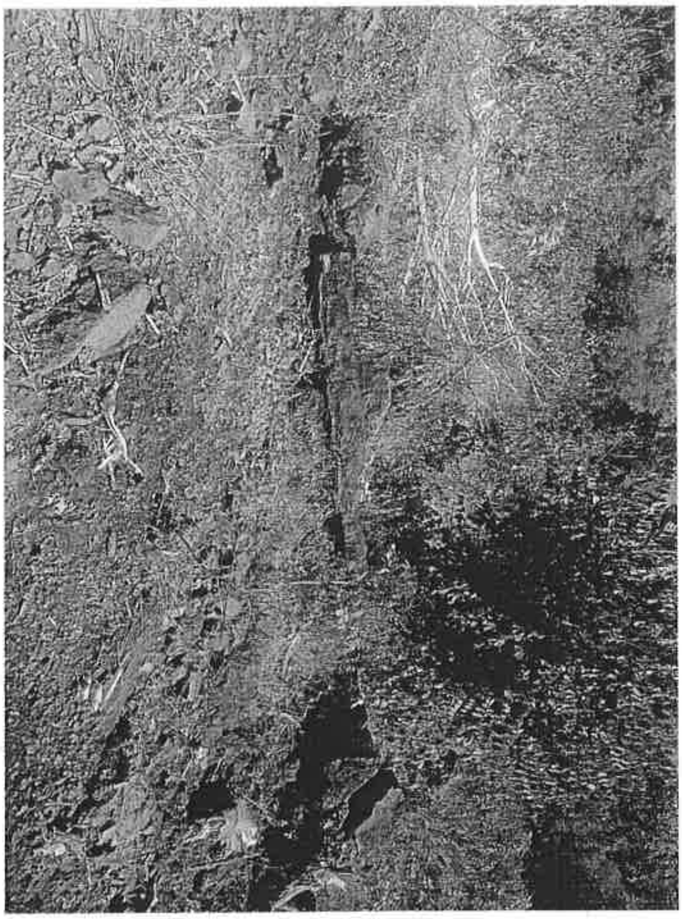

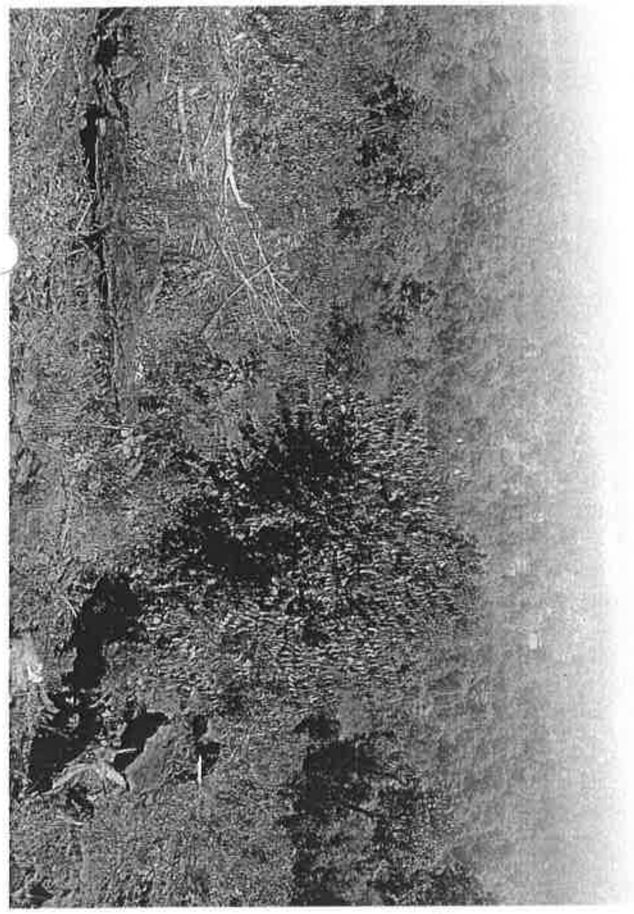

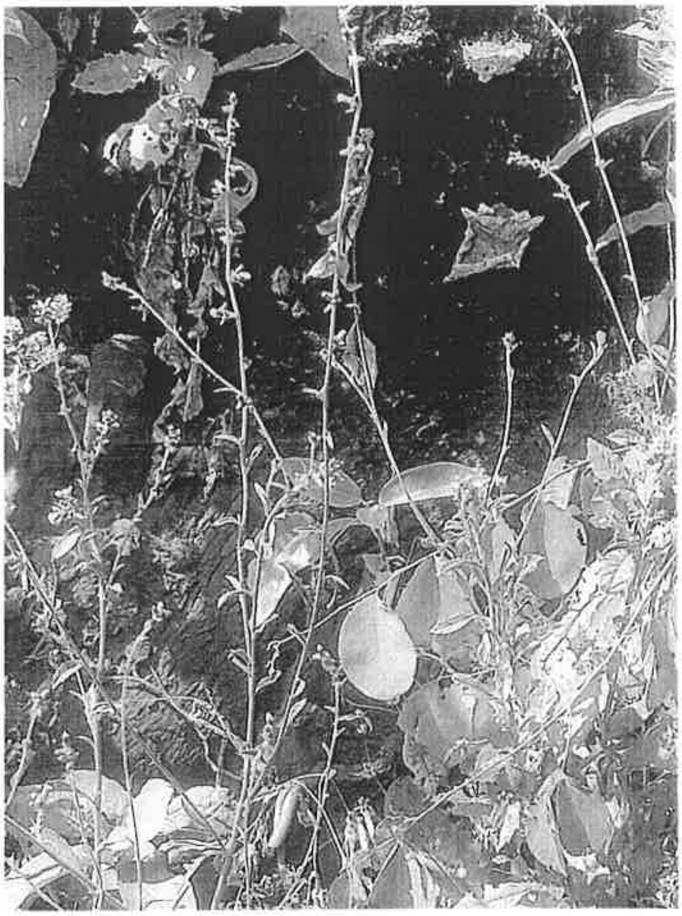
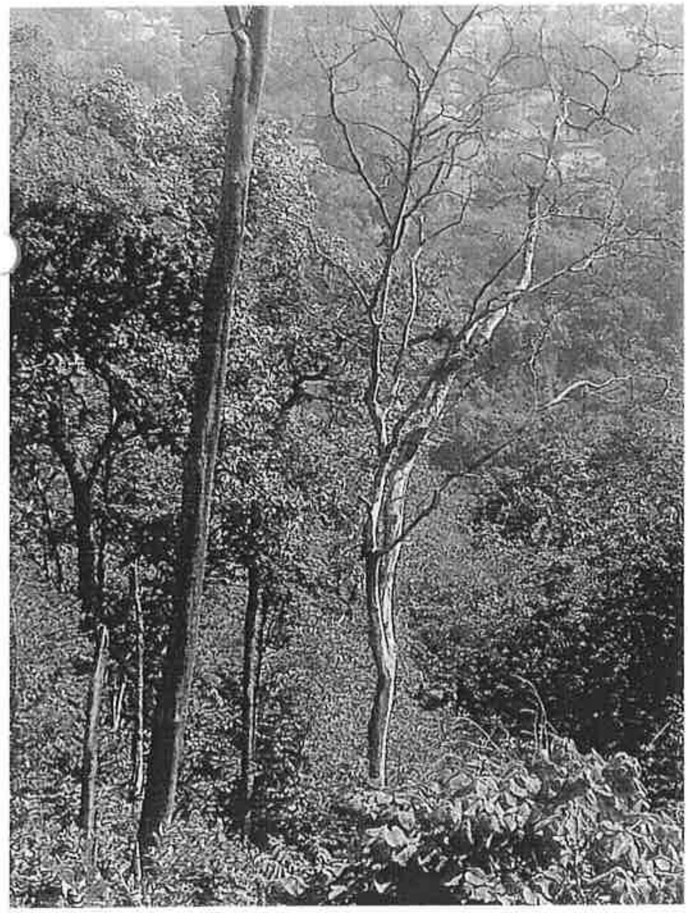
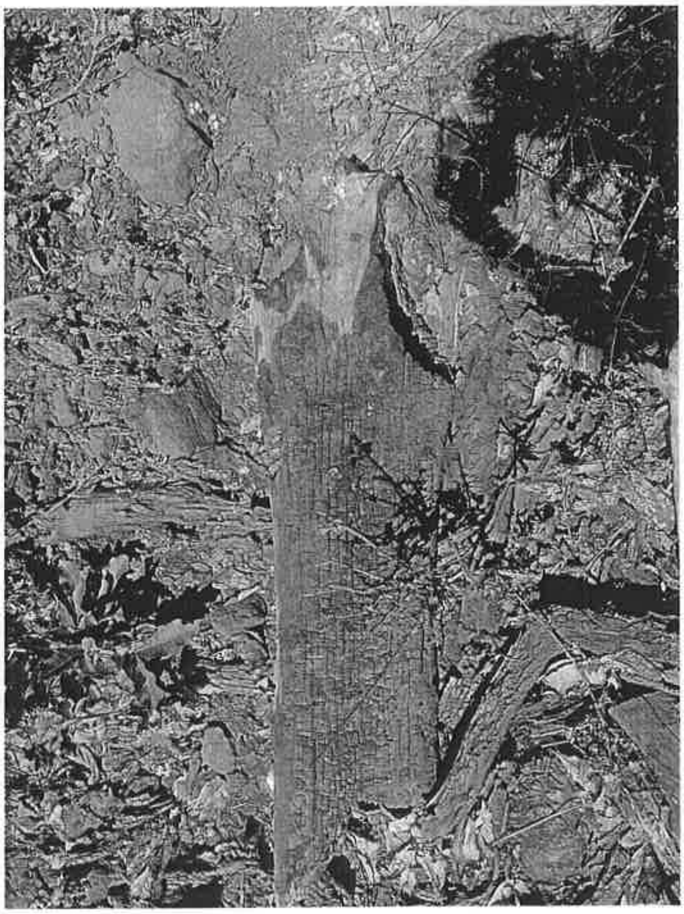

घटना दिनांक 08/02/2015, चारगांव खदान में जली हुई गाडी का चित्र

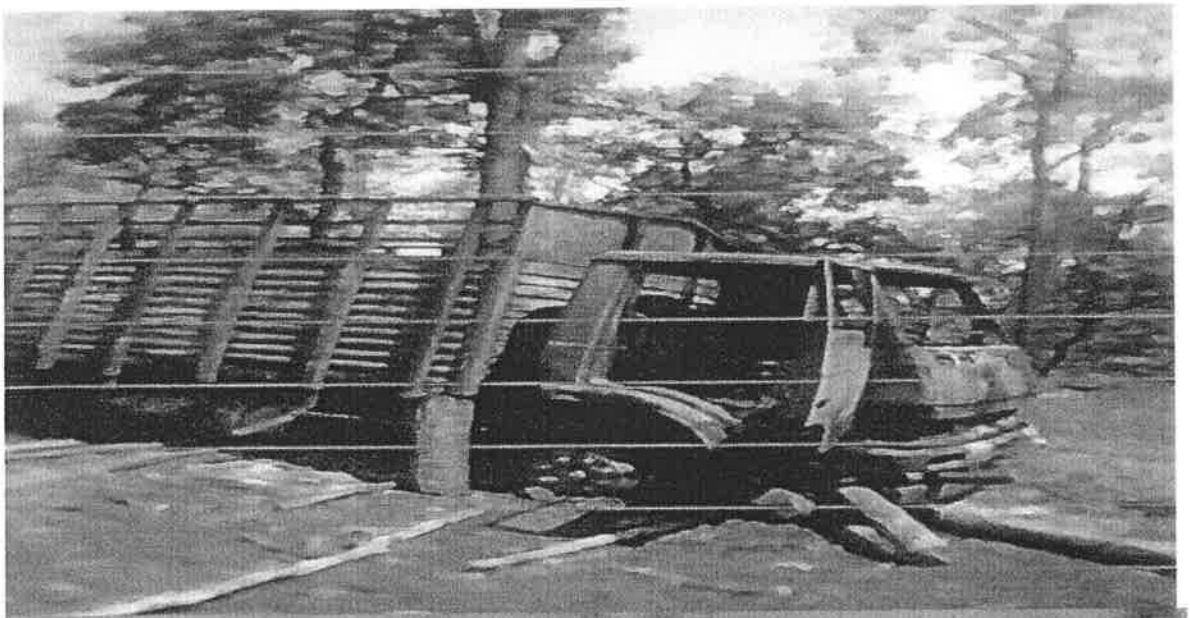

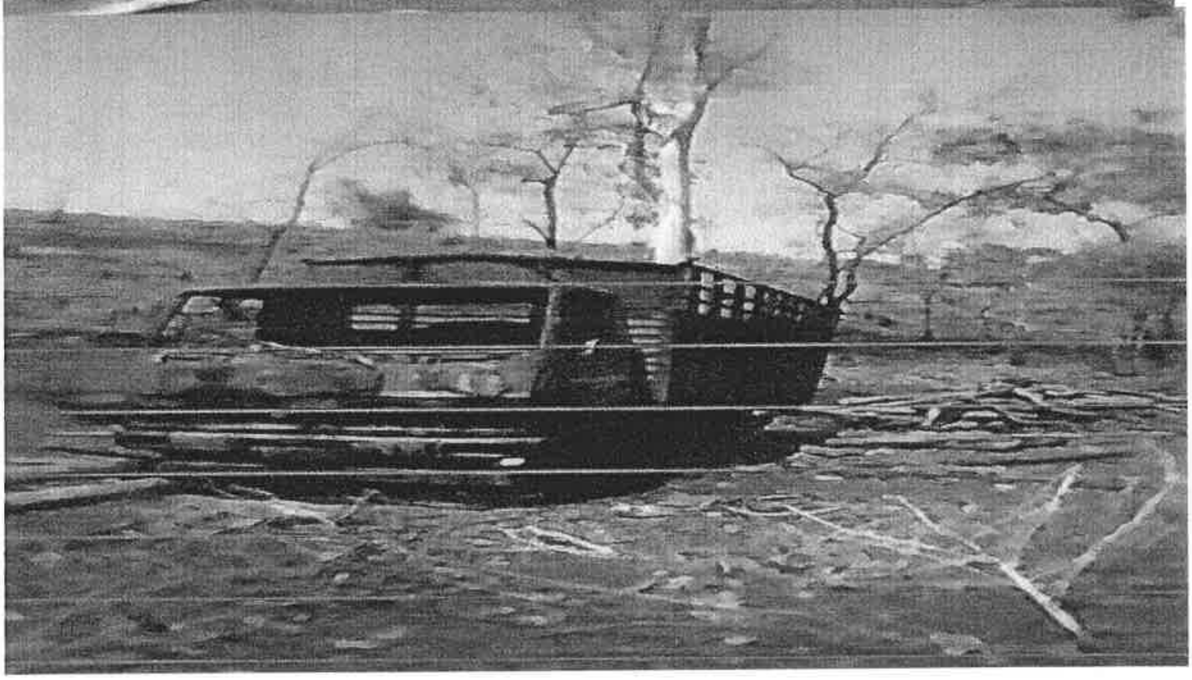

VI-(a)—212
पुलिस हिन्दी

प्रतिपर्ण
पृष्ठ क्रमांक

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

*जिला कांकेर *थाना सिकसोड़ *वर्ष 2015 *प्र.सू.प.क्र. 2/2015 *दिनांक 10/1/2015

(1) *विधान भा. द. वि. धाराएं 147, 148, 149, 342, 435, 506

(2) *विधान धाराएं

(3) *विधान धाराएं

(4) *अन्य विधान एवं धाराएं 25, 27, आर्म्स एक्ट

(अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्र.

(ब) *घटना का दिन शुक्रवार *दिनांक 9/1/2015 के *समय 2/30 बजे करीब दोपहर

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 10/1/2015 समय 10/30 बजे रो. सा. क्र. 207

सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक

घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी उत्तर पश्चिम 11 कि.मी. लगभग

(ब) *घटना स्थल का पता चारगांव मेटा बोदेली लोहा पहाड़ी थाना- सिकसोड़ जिला- उ. ब. कांकेर बीट नं.

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना जिला

अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम नब्रत राय

(ब) पिता/पति/पालक का नाम स्व. अमुल्य राय

(स) जन्म दिनांक/वर्ष 64 वर्ष (ड) राष्ट्रीयता भारतीय

(द) पासपोर्ट नं. × जारी दिनांक × जारी होने का स्थान

(क) व्यवसाय पोकलेन एवं JCB मशीन चालक (ख) पता आवास पारा पखांजूर थाना- पखांजूर जिला- कांकेर

- (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण :

10-15 सशस्त्र वर्दीधारी महिला एवं पुरुष नक्सली

अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने मे विलम्ब का कारण रात्रि होने एवं डर के कारण

अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

एक पोकलेन मशीन JS 205 मॉडल 2014 कीमती करीबन 48 लाख

*अपहृत/संबंध सम्पत्ति का कुल मूल्य 4800000/— रुपये लगभग

*मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो) ×

प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें।) ×

Scanned by CamScanner

मैं आवास पारा परवांजूर का निवासी हूं, पोकलेन एवं JCB मशीन ऑपरेटर हूं, वर्तमान में चारगांव मेताबोदेली माइन्स पहाड़ी में ठेकेदार घोष बिल्डर निवासी भानुप्रतापपुर के अन्दर में रोड़ निर्माण में लगे पोकलेन मशीन को चलाता हूं, पोकलेन का मालिक भिलाई निवासी शेख अबजल कुरैशी है, कल दिनांक 9/1/2015 को चारगांव पहाड़ी में काम चल रहा था, मैं पोकलेन चला रहा था और मेरे साथ हेल्पर मोह० इकबाल था तथा पहाड़ी के दुसरे किनारे में करीब 200-250 लेबर पेड़ कटाई का काम कर रहे थे, दोपहर करीब 2/30 बजे मैं और हेल्पर इकबाल पोकलेन मशीन को खड़ीकर खाना खा रहे थे, उसी बीच ग्राम मेटाबोदली की ओर से पहाड़ी के ऊपर से 10-15 बंदुक धारी महिला एवं पुरुष नक्सली आये जो काले रंग के ड्रेस में थे और बोले की किसका काम चल रहा है तुम लोग मालिक हो या नौकर तो मैं बताया की हम लोग नौकर है शेख अबजल कुरैसी का पोकलेन है और कि कंपनी का काम चल रहा है तो नक्सली लोग मुझे और हेल्पर इकबाल को मशीन करीब 100 मीटर दूर बंदुक दिखाकर धमकाते ले गये, बोले की तुम्हे जितना बोला जा रहा है, उतना सुनो ज्यादा होशयारी मत करना चुपचाप बैठो कहीं मत जाना हम लोग पोकलेन को आग लगायेंगे, हिलने की कोशिश करोगे तो गोली मार देंगे कहकर बैठाये और कहीं जाने नहीं दिये एक डब्बा में पेट्रोल लाये थे जिसे पोकलेन मशीन के ऊपर छिड़ककर हमारे सामने ही आग लगा दिये, पोकलेन मशीन पुरी तरह जलकर नष्ट हो गया है, नक्सली लोग 3-4 बैनर भी झाड़ीयो में बांधे और पामप्लेट भी फेंके है करीब 1 घंटा तक वहीं रुकने के बाद नक्सली लोग पुनः पहाड़ी के रास्ते मेताबोदली की ओर चले गये और हम लोगो को 4/00 बजे के बाद यहां से जाना काम बंद करो खदान नहीं चलना चाहिए कहकर चले गये। शाम हो जाने तथा डर के कारण कल थाना नहीं आ सका आज आकर रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही की जाय।

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा .... का प्रकरण विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा ....धारा 147, 148, 149, 342, 435, 506 IPC का प्रकरण विवे[illegible] गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना .... जिला .... को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 154 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया । इसकी एक प्रति उसे निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

[signature] 10/1

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) भीमसेन यादव

*(पद) उप निरीक्षक

*(नं. यदि है) थाना - सि[illegible]

नवलसाय

अभियोगी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

प्रति,

माननीय न्यायालय ....J.M.F.C. भानुप्रतापपुर.................................... की ओर सूचनार्थ ।

Scanned by CamScanner

घटना दिनांक 09/01/2015, चारगांव (मेटाबोदेली) जिला कांकेर छ.ग.

सिकसोड थाना अंतर्गत ग्राम चारगांव में स्थित मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान में दिनांक 09 जनवरी 2015 को दोपहर तीन बजे जब खदान में परिवहन के लिए सडक निर्माण का कार्य चल रहा था तभी अचानक 20–25 नक्सली पहुंच गए एवं निर्माण कार्य पर लगे जेसीबी कम्पनी की एक पोकलेन मषीन को आग के हवाले कर दिया और इस कार्य में लगे श्रमिको को दुबारा काम में आने पर जान से मारने की धमकी दी गई जिससे कार्य कई दिनो के लिए पुनः बंद हो गया । इस घटना के बाद क्षेत्र में दहषत का माहौल व्याप्त है ।

क्षेत्र में हो रही इस तरह की घटना से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है इस प्रकार की घटना से न केवल खदान बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास कार्य भी ठप्प हो गई है

नई दुनिया

10 जनवरी 2015

टंकी फूटी...- पेज 16

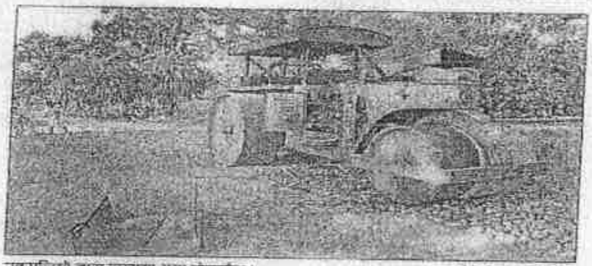

नक्सलियों द्वारा जलाया गया पोकलैन। फोटो : नईदुनिया

नक्सलियों ने फूंका पोकलैन सड़क निर्माण कार्य ठप

20–25 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने दिया घटना को अंजाम

अंतागढ़ (निप्र)। चारगांव माइंस के लिये चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे पोकलैन को शुक्रवार को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। करीब 20-25 की संख्या में जंगल की ओर से आए हथियारबंद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इससे सड़क निर्माण में लगे करीब 200 मजदूर भाग खड़े हुए और निर्माण कार्य ठप हो गया। इस घटना के बाद से मजदूरों के साथ ही आसपास के ग्रामीणों में काफी दहशत है। निर्माण एजेंसी नागपुर की निक्को है। कुछ दिनों पूर्व ही सड़क निर्माण में लगे माकड़ी के जेसीबी संचालक की वाहन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था। शुक्रवार को पुनः एक घटना को अंजाम दिया गया। अंतागढ़ के थाना सिकसोड़ क्षेत्र के अंतर्गत हुई इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्षेत्र में लगातार विगत कई दिनों से माओवादियों द्वारा शासकीय कार्यों को अवरूद्ध किया जा रहा है। लगातार हो रही घटनाओं से सड़क निर्माण कार्य अवरुद्ध होने के साथ-साथ आम जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

खदान में लगी जेसीबी को माओवादियों ने फूंका

कांकेर. सिकसोड थाना अंतर्गत चारगांव में लोहा खदान निर्माण के लिए लगी जेसीबी मशीन को शुक्रवार को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। वारदात के बाद वहां चल रहा निर्माण कार्य बंद हो गया।

जानकारी के अनुसार चारगांव में लोहा खदान के लिए पेड़ कटाई व साफ-सफाई का कार्य चल रहा है। इस कार्य में लगी एक जेसीबी मशीन को माओवादियों ने शुक्रवार की दोपहर लगभग 3 बजे आग लगी दी साथ। वहां लगे मजदूरों को काम न करने की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। घटना की खबर लगते ही पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना हो गई थी। पुलिस ने माओवादियों के खिलाफ मामला कायम कर लिया है।

10 जनवरी 2015 पत्रिका

Jayaswals Neco Ltd.

(STEEL PLANT DIVISION)

Siltara Growth Centre, Siltara, Raipur (C.G.) INDIA
Phone : 07721-264238/41, 0771-5093321/22/23/24,
Fax : 0771-5093320 [illegible] E-mail:spd@necoindia.com

Dtd. 27 Oct. 2003

The Director General of Police,
Chhattisgarh State,
Raipur.

Subject: **Handling of the problem of Naxals to enable Jayaswal Neco Ltd. to start mining at Metabodeli Iron ore deposit by the side of village Chargaon, Tehsil Bhanupratappur and Distt. Kanker.**

Sir,

Neco family joins me in wishing you and your family a very happy & prosperous *'Deepawali'* & *'New Year'* and thank you for the kind courtesy extended to Mr. Rahul Bajpai, Sr. Manager-Mines & the undersigned during our visit to your office on 23.10.2003.

The following was brought to your notice for your kind consideration.

1. Jayaswals Neco Limited (JNL) had set up its Steel Plant at Siltara, Raipur, Chhattisgarh under Special Promotion Scheme of the then **Govt. of M.P.** with an assurance of supply of raw material from captive sources and has become 'Sick' due to non-availability of iron ore for nearby mines.

2. Metabodeli Iron ore deposit was granted to us but we could not start the mine due to the problem of Naxals.

3. Recently on 15.09.2003 Naxals captivated Mr. P.K. Parate our Mines Manager and Mr. Mohan, the Site In-charge of Mohammad Rahim, who were supervising the road repairing work near village Chargaon and released them only on 28.09.2003 after nearly two weeks.

4. The morale of the employees is at the lowest ebb and are extremely afraid of even going to the mine site.

5. If iron ore is not made available immediately from Metabodeli, its very survival shall be at stake & its closure shall lead to :
   - i) loss of livelihood of more than 1200 persons
   - ii) Loss of indirect employment to more than 3600 (3 times) persons
   - iii) Closure of ancillary industries; and
   - iv) Hamper development of backward area of Chhattisgarh

Continuation Sheet ....

Your intervention, we are confident, will not only be morale booster for the employees but also help them start the mining operations. We, therefore, request you to kindly use your high & good offices to solve the problem and open a 'Police Post' in village close to Metabodeli Iron ore deposit to facilitate opening up of the mine without any hindrance from Naxals.

Thanking you.

Yours faithfully,

Dr. V.S. Garg
Vice- President

CC to: Inspector General of Police, Bastar Range

CC to: Suprintandent of Police (Kanker)

Annex I

VI-(a)—212
पुलिस हिन्दी

फार्म नं. 1

पृष्ठ क्रमांक 40

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)
FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

* जिला कांकेर * थाना [illegible] * प्र.सू.प.क्र. [illegible] * दिनांक [illegible]

(1) * विधान भा.द.वि. धारायें 147, 148, 149, 307 [illegible]

(2) * विधान ... धारायें ...

(3) * विधान ... धारायें ...

(4) * अन्य विधान एवं धारायें 25, 27 आर्म्स एक्ट

) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्र.

* घटना का दिन सोमवार * दिनांक [illegible] समय [illegible]

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक [illegible] समय 14:05 बजे रो. सा. क्र. [illegible]

सूचना का प्रकार : * लिखित/मौखिक [illegible] दिनांक 3/10/[illegible] समय [illegible] बजे [illegible]

स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी [illegible] कि.मी. उत्तर दिशा

(ब) * घटना स्थल का पता ग्राम [illegible] की पहाड़ी

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना ... बीट नं. ... जिला ...

अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम [illegible] कुमार

(ब) पिता/पति/पालक का नाम [illegible] कुमार

(स) जन्म दिनांक/वर्ष [illegible] वर्ष

(द) पासपोर्ट नं. ... जारी दिनांक ... (इ) राष्ट्रीयता भारतीय ... जारी होने का स्थान ...

(फ) व्यवसाय नौकरी [illegible] (ख) पता [illegible] जिला कांकेर

ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण :

(आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

नक्सली कमाण्डर [illegible] व अन्य [illegible] सशस्त्र महिला-पुरुष नक्सली

अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण [illegible] से [illegible] धारा 147, 148, 149, 365, 368, 307, 435, [illegible], 25, 27 आर्म्स एक्ट [illegible] होने के कारण

अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

अपहृत/संबंध सम्पत्ति का कुल मूल्य

मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो)

थाना [illegible] मैं थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं। दिनांक [illegible]
पुलिस [illegible] क्राइम मीटिंग में [illegible]
[illegible] 147,148,149, 365, 368, 307 [illegible]
[illegible]
[illegible] 147,148,149, 365, 366, 307 [illegible]
[illegible]
[illegible] दिनांक 15/3/03 से 28/9/03 [illegible]
[illegible]

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 147,148,149, 365, 368, 307 [illegible] का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा [illegible] को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना [illegible] जिला [illegible] को स्थानांतरित किया गया या द. प्र. सं. की धारा 154 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया। इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी।

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) [illegible]

*(पद) उप निरी०

*(नं. यदि है)

अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

रायपुर, बुधवार 1 अक्टूबर, 2003 दैनिक भास्कर

नक्सलियों ने लोहा खदान रेल लाइन का विरोध किया

भास्कर न्यूज, बड़गांव, 30 सितंबर।

बड़गांव से सात किमी दूर कोंडेगांव के आसपास पुत्तसवार उत्तर बस्तर डिविजन कमेटी ने पर्चे चिपका कर रावघाट, खारगांव, लोहा खदान और दल्लीराजहरा बैलाडिला रेल लाइन खोलने के शासन के प्रयास का विरोध करने को कहा है। पीपुल्सवार ने 35 गांवों के नाम का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन खदानों के चालू हो जाने से इन गांवों के लोग निर्वासित हो जाएंगे।

गांव में चारों तरफ पर्चे टंगे होने से ग्रामीणों में भारी दहशत

इन खदानों के लिए रावघाट चादगांव के जंगलों को काटना पड़ेगा, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। लोहा साफ करने और खदानों में पानी ले जाने के लिए मेढ़की नदी पर बांध बनाने से आसपास के गांव और जमीन पानी में डूब जाएगा।

खदानों से मेढ़की नदी में छोड़ने वाला रसायन और दूषित पानी से लोगों और जानवरों को जान का खतरा होगा। रेल लाइन के लिए कई गांवों को उजाड़ना और हजारों एकड़ जंगल को काटना पड़ेगा। कांग्रेस और भाजपा को साम्राज्यवादियों का समर्थक करार देते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

बैलाडिला लोहा खदान का उदाहरण देते हुए पर्चे में कहा गया है कि इस खदान को खोलकर जापान साम्राज्यवादियों को दे दिया है। इसी वजह से अभी बैलाडिला के आसपास के पूरे इलाके में खदानें भर गई है। वहां पूरा जंगल खत्म हो गया है। इसी तरह दल्लीराजहरा, कच्चेभारी, चुटयारी माइके खदानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार ने खदान खोलते समय देशहित की यहां की निर्वासित जनता को आज तक न मुआवजा नहीं दिया गया न ही जमीन दी गई है। सरकार को विकास के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जनता, कर्मचारियों मजदूरों, छात्रों, व्यापारियों से विरोध करने की अपील की गई है। गांव में चारों तरफ पर्चे टंगे होने से ग्रामीणों में दहशत है।

दी सजा

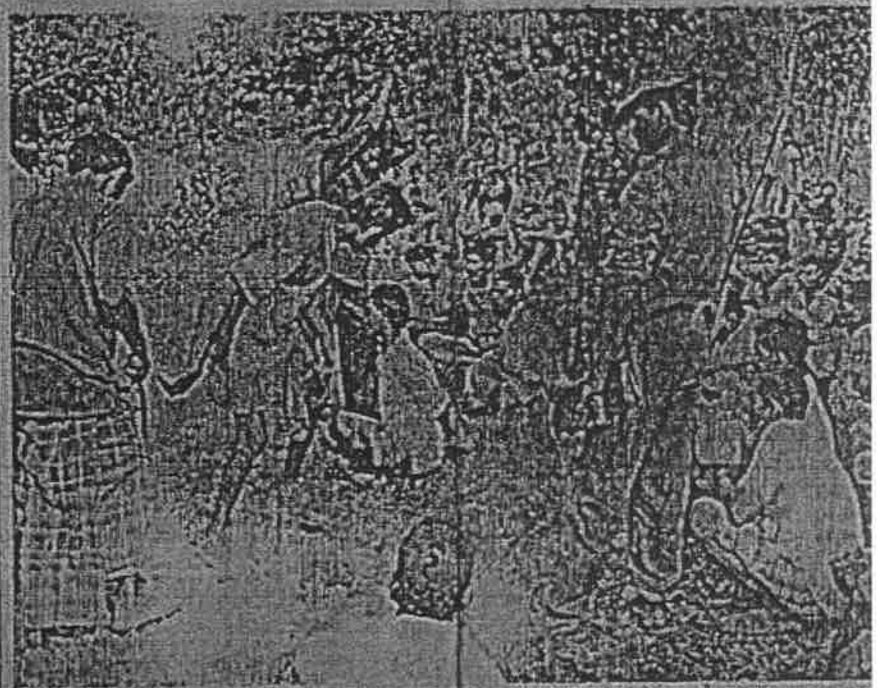

कांकेर जिले के ग्राम कामी के जंगल में नक्सलियों ने [illegible] जन अदालत लगाई। नक्सलियों के नाम पैसा वसूल करने वाले दो ग्रामीणों की वहां बेदर्दी से नक्सलियों ने पिटाई की। (समाचार पेज 9 पर)